संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

(For the State of Goa and Union Territories)

ANNUAL REPORT

Financial Year 2020-21

(Under Section 105 of Electricity Act, 2003)

XIII Edition

वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2020–21

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के तहत)

XIII वां संस्करण

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट नं. 55–56,
सेक्टर–18, उद्योग विहार, फेज–IV, गुरूग्राम–122015 (हरियाणा)
वेबसाइट: www.jercuts.gov.in
ई–मेल:secy-jercuts@gov.in

विषय सूचि

क	अनुलग्नक	(i)
ख	संक्षिप्त रूप	(ii)
ग	वित्तीय वर्ष 2020–21 की प्रमुख गतिविधियां	(iii)
घ	अध्यक्ष की कलम से	(iv)

1	**संगठनात्मक संरचना और प्रशासन**	**1**
1.1	आयोग	1
1.2	आयोग के कार्य और कर्तव्य	2–3
1.3	आयोग के सदस्यों का जीवन–वृत्त	4
1.4	आयोग का कार्यालय	5
1.5	आयोग का संगठनात्मक ढांचा	6
1.6	जन सुनवाई	7
1.7	वेबसाइट	7
1.8	डिजिटल कार्यस्थलः ई–ऑफिस कार्यान्वयन	7
1.9	प्रशिक्षण	8
1.10	सूचना का अधिकार	8
1.11	संसद प्रश्न	8
2	**वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग की गतिविधियां**	**9**
2.1	विनियम	9
2.2	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ और वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण	9–11
2.3	जेईआरसी क्षेत्राधिकार के तहत बिजली उपयोगिताओं के महत्वपूर्ण मापदंड	12
2.4	राज्य सलाहकार समिति की बैठकें	13–14
2.5	वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान याचिकाओं की स्थिति	15
2.6	विवादों और मतभेदों का अधिनिर्णय	16–19
3	**आयोग के वार्षिक लेखा**	**20-22**
4	**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का विवरण**	**23**
5	**वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए योजना**	**24**

अनुबंध

अनुबंध–1 उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का विवरण **25**

अनुबंध–2 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई / अन्य सुनवाई का विवरण **26–28**

अनुबंध–3 31.03.2021 को विनियमों की सूची **29–30**

संक्षिप्त रूप

एसीओएस	आपूर्ति की औसत लागत
एआरआर	वार्षिक राजस्व आवश्यकता
सीईआरसी	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीआरएफ	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
डीएनएचपीडीसीएल	दादरा व नगर हवेली विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
ईडी	बिजली विभाग
एफओआर	विनियामकों का फोरम
एफपीपीसीए	ईंधन और बिजली खरीद मूल्य समायोजन
वित्त वर्ष	वित्तीय वर्ष
जीओआई	भारत सरकार
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)
समझौता ज्ञापन	समझौता–ज्ञापन
एनएचपीसी	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
पीएफसी	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन
पीपीसीएल	पुडुचेरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड
पीपीए	बिजली खरीद समझौता
पीएफसी	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
आरईसी	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
आरपीओ	नवीकरणीय खरीद दायित्व
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसएसी	राज्य सलाहकार समिति
एसईसीआई	भारतीय सौर ऊर्जा निगम
एसआरपीसी	दक्षिणी क्षेत्रीय विद्युत समिति
टीएंडडी	पारेषण और वितरण
डब्ल्यूआरपीसी	पश्चिमी क्षेत्र विद्युत समिति

अध्यक्ष की कलम से

सत्यमेव जयते

श्री एम. के. गोयल
अध्यक्ष

वित्त वर्ष 2020–21 के वर्ष के दौरान आयोग द्वारा शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों के सामान्य दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) की वार्षिक रिपोर्ट का तेरहवां संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है।

विद्युत अधिनियम, 2003 में संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र के विनियमित और सुव्यवस्थित विकास करने के लिए गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का सृजन करने का अधिदेश दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप आयोग अगस्त, 2008 में अस्तित्व में आया तथा यह गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत क्षेत्र में एक प्रभावी और कुशल विनियामक प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि माप की दृष्टि से इन प्रदेशों का भौगोलिक क्षेत्र काफी छोटा है फिर भी ये क्षेत्र औद्योगीकरण (दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और पुडुचेरी) या आधुनिक शहरी विकास (चंडीगढ़) और/या पर्यटन (गोवा और अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप और दीव भी) के संदर्भ में बड़े पैमाने पर योगदान देते हैं। अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप नामक द्वीप क्षेत्र रणनीतिक रूप से ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।

वित्तीय वर्ष में महामारी कोविड–19 से सामना हुआ जिसने उद्योगों, सेवा, वाणिज्यिक और अन्य क्षेत्रों के विकास को प्रभावित किया है जिसके परिणामस्वरूप देश का आर्थिक विकास समग्र रूप से प्रभावित हुआ है। इस महामारी का संघ राज्य क्षेत्रों और गोवा राज्य में डिस्कॉम के कार्य निष्पादन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके दौरान आयोग को उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के हितों के बीच संतुलन बनाने संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसलिए स्थिति की गंभीरता और अभूतपूर्व प्रकृति को देखते हुए सभी हितधारकों के हित में स्वतः संज्ञान लेते हुए राहत आदेश निकाले गए।

महामारी के दौरान आयोग ने सभी हितधारकों के साथ लगातार बातचीत करने में दिक़्क़त महसूस की, इसलिए आयोग ने सभी सुनवाई वर्चुअल मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि बातचीत में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। वर्ष 2020–2021 के दौरान, सभी टैरिफ याचिका की सुनवाई बैठकें, 16वीं राज्य सलाहकार समिति की बैठक और शेष सुनवाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार और समय पर वर्चुअल मोड के माध्यम से हुई।

आयोग ने वर्ष के दौरान बिजली क्षेत्र में दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बिजली कंपनियों के प्रदर्शन और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए कदम उठाए हैं।

आयोग ने इस वित्तीय वर्ष सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण और वितरण लाइसेंसिंग) विनियम, 2020 (10.02.2021 को अधिसूचित) और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2020 (22.03.2021 को अधिसूचित) किया है।

आयोग समय–समय पर राज्य सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से उपभोक्ता संगठनों, उद्योग संघों और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करता है। इस वित्तीय वर्ष आयोग ने अपनी 16वीं राज्य सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसका ब्यौरा बाद के अध्यायों में दिया गया है। साथ ही, भारत सरकार की हरित पहलों को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है तथा उपयोगिताओं से अपने आरपीओ लक्ष्यों को पूरा करने का आग्रह करते हुए क्षेत्रों में सभी वितरण उपयोगिताओं के नवीकरणीय खरीद दायित्वों (आरपीओ) पर बारीकी से नज़र रख रहा है। इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश क्षेत्र पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील और नाजुक हैं, आयोग लागत जमा आधार पर अपने वार्षिक जेनेरिक टैरिफ आदेशों के माध्यम से नवीकरणीय उत्पादन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है।

अंत में, मैं बिजली वितरण उपयोगिताओं, उपभोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों और अन्य हितधारकों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए बधाई और हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने आयोग को तर्कसंगत, संतुलित टैरिफ आदेशों के निर्धारण और अन्य विनियामक गतिविधियां चलाने में मदद की। आयोग अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन और भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सतत भागीदारी की अपेक्षा करता है।

I संगठनात्मक अवसंरचना और प्रशासन

1 आयोग

केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक दो सदस्यीय (अध्यक्ष सहित) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया, जिसे संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के रूप में जाना जाता है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जैसा कि दिनांक 2 मई, 2005 की अधिसूचना सं. 23/52/2003–आरएंडआर के तहत अधिसूचित किया गया है। बाद में, गोवा राज्य के शामिल होने के साथ ही आयोग 30 मई, 2008 की अधिसूचना सं. 23/52/2003–आरएंडआर (खंड. II) के द्वारा अधिसूचित अनुसार, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के रूप में जाना जाने लगा। गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ने अगस्त 2008 से काम करना शुरू कर दिया था। आयोग का यह कार्यालय वर्तमान में जिला शहर गुरुग्राम, हरियाणा में किराए के भवन में स्थित है।

वर्ष के दौरान आयोग ने गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी निष्पक्ष, पारदर्शी और वस्तुपरक विनियामक प्रक्रिया को जारी रखने का प्रयास किया है। आयोग की तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग की गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया है। आयोग के पास विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के उद्देश्य से वही शक्तियां हैं जो अधिनियम की धारा 94 की उप–धारा (1) के अंतर्गत सूचीबद्ध मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय में निहित हैं।

आयोग के समक्ष सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही माना जाता है और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाता है। आयोग को यह पूर्ण अधिकार है कि वह कंपनियों और लाइसेंसधारियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों पर अधिनिर्णय दे या मध्यस्थता के लिए मध्यस्थ(थों) को मनोनीत करे और उनका समाधान करे।

1.2 आयोग के कार्य

अधिदेश

विद्युत अधिनियम, 2003 का उद्देश्य बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ करना और आम तौर पर बिजली उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करना, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करना, बिजली टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना, कुशल और पर्यावरण अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करना, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विनियामक आयोगों का गठन करना और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ–साथ विद्युत आपूर्तिकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए खुले, भेदभाव रहित, प्रतिस्पर्धी, बाजार चालित वातावरण में विद्युत क्षेत्र के विकास के अनुकूल एक सक्षम ढांचा भी तैयार करना है। इस संदर्भ में विद्युत अधिनियम में परिकल्पित उद्देश्यों को साकार करने के लिए आयोग की भूमिका निर्णायक है।

आयोग को अधिदेशित कार्य

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, जेईआरसी गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर) में दक्ष और आर्थिक रूप से व्यवहार्य विद्युत प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखती है, सस्ती दरों पर बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करती है तथा गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर) में लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के हितों की रक्षा करने और उपभोक्ताओं को उचित सौदा प्रदान करने के लिए, पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता के सिद्धांतों से निर्देशित होते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करती है। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) के तहत निम्नलिखित कार्य करने का अधिदेश दिया गया है–

क) राज्य के भीतर बिजली, थोक बिक्री, थोक या खुदरा, जैसा भी मामला हो, के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और परिवहन के लिए टैरिफ का निर्धारणः

बशर्ते कि जहां धारा 42 के तहत उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को खुली उपलब्धता प्रदान की गई हो, वहां राज्य आयोग उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी के लिए केवल परिवहन शुल्क और उस पर अधिभार, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा;

ख) बिजली की खरीद और वितरण लाइसेंसधारियों की खरीद प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति के लिए बिजली की खरीद संबंधी समझौतों के माध्यम से जिस मूल्य पर बिजली को उत्पादन कंपनियों या लाइसेंसधारियों या अन्य स्रोतों से खरीदा जाएगा, शामिल होगा;

ग) बिजली के अंतर–राज्यीय पारेषण और परिवहन की सुविधा;

घ) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और बिजली व्यापारियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर उनके प्रचालनों के संबंध में लाइसेंस जारी करना;

ड.) किसी भी व्यक्ति को बिजली की ग्रिड और बिक्री के साथ कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त उपाय प्रदान करके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली के सह–उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना, और ऐसे स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए, किसी वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का एक प्रतिशत निर्दिष्ट करना;

च) लाइसेंसधारियों, और उत्पादक कंपनियों के बीच विवादों पर निर्णय लेना और किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजना;

छ) इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए शुल्क लगाना;

ज) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड का उल्लेख करना;

झ) लाइसेंसधारियों द्वारा गुणवत्ता, निरंतरता और सेवा की विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को निर्दिष्ट या लागू करना;

ट) यदि आवश्यक हो, तो बिजली की अंतर–राज्यीय ट्रेडिंग में ट्रेडिंग मार्जिन का निर्धारण करना;

ठ) इस अधिनियम के तहत उन्हें सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

अधिनियम की धारा 86(2) के अनुसार, आयोग राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार को निम्नलिखित सभी मामलों में या किसी एक मामले पर सलाह देगाः–

i) बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना;

ii) बिजली उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना;

iii) राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली उद्योग का पुनर्गठन और पुनर्संरचना;

iv) बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से संबंधित मामले या सरकार द्वारा संयुक्त आयोग को संदर्भित अन्य कोई मामला।

धारा 86(3) के अनुसार, आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा; और, धारा 86(4) के अनुसार, अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और शुल्क नीति द्वारा निर्देशित होगा।

बिजली विभाग, गोवा के लिए वित्त वर्ष 2021–22 का एआरआर तथा टैरिफ निर्धारण करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 25.01.2021 को जन सुनवाई

1.3 आयोग के सदस्यों का जीवन–वृत्त

वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

श्री एम.के. गोयल
अध्यक्ष

श्री एम.के. गोयल ने 17 फरवरी, 2017 को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था।

कानपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर श्री गोयल को विभिन्न विद्युत क्षेत्रों का 41 वर्ष से अधिक का अनुभव है। जेईआरसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, जो एक नवरत्न पीएसयू है और देश का सबसे बड़ा एनबीएफसी है। उन्हें पीएफसी में पॉवर फाइनेंसिंग का लगभग 28 वर्ष, और 1988 में पीएफसी में शामिल होने से पहले एनएचपीसी में 9 वर्ष का बिजली उत्पादन का अनुभव है। उन्हें पीएफसी में बोर्ड स्तर का 9 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

सीएमडी, पीएफसी के रूप में उनके नेतृत्व में, विद्युत क्षेत्र में कड़ी चुनौतियां होने के बावजूद, पीएफसी ने वित्तीय और परिचालन निष्पादन में बढ़ोतरी सहित व्यापार में निरंतर वृद्धि दर्ज की है। परिणामस्वरूप, 31.03.2016 को निवल मूल्य (सभी रिजर्व) के आधार पर पीएफसी देश में सबसे बड़ा एनबीएफसी है और डीपीई सर्वेक्षण 2016 के अनुसार लाभ अर्जित करने वाला 5वां सबसे बड़ा पीएसयू है। उन्होंने वित्त वर्ष 2013–14 और वित्त वर्ष 2014–15 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी समझौता–ज्ञापन लक्ष्यों की प्राप्ति भी सुनिश्चित की है, जिसमें सीएमडी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पीएफसी को लगातार 2 वर्ष तक 1.00 का उच्चतम समझौता–ज्ञापन अंक प्राप्त हुआ था।

उन्होंने भारत सरकार की पहल की अगुवाई करते हुए विभिन्न विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया, जिसमें एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), उदय, 24X7 सभी के लिए बिजली आदि शामिल थे। उन्होंने यूएमपीपी, आईटीपी, यूएमपीपी बोली दस्तावेजों की समीक्षा आदि जैसी भारत सरकार की अन्य पहलों के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने नीतिगत और विनियामक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न समितियों में महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में बिजली क्षेत्र और वित्तीय उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जैसे (1) नीतिगत मुद्दों पर सीईआरसी को सलाह देने के लिए 'केंद्रीय सलाहकार समिति' (सीएसी) (2) सीईए द्वारा गठित राष्ट्रीय विद्युत योजना के लिए 'निधियों की आवश्यकता', (3) विनियामक परिवर्तनों आदि के लिए आरबीआई के साथ वित्त–पोषण के मुद्दों को उठाने के लिए 'वित्त–पोषण के बुनियादी ढांचे पर उच्च स्तरीय समिति'।

1.3 (i) सदस्य

08.12.2019 के बाद से सदस्य का पद रिक्त है।

1.4 आयोग का कार्यालय

आयोग प्लॉट नं. 55–56, तीसरी और चौथी मंजिल, उद्योग विहार–IV, सेक्टर–18, गुरुग्राम, हरियाणा में किराए के परिसर के माध्यम से कार्य कर रहा है। आयोग की अपनी वेबसाइट (www.jercuts.gov.in) है, जिसका इसके सचिवालय द्वारा नियमित रूप से रखरखाव और अपडेट किया जाता है। इस वेबसाइट का प्रयोग अनुसूचित सुनवाई की सूचना देने, समाचार, अद्यतन सूचना, अवधारणा पत्रों पर टिप्पणियां आमंत्रित करने, विनियमों, याचिकाओं और अधिसूचित विनियमों को अपलोड करने, आयोग के आदेश आदि के लिए किया जाता है। यह उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों और लोकपाल पर उपभोक्ताओं को जानकारी भी प्रदान करता है और उनका मार्गदर्शन करता है।

जन सुनवाई की वीडियो कांफ्रेंसिंग की तस्वीर

1.5 आयोग की संगठनात्मक संरचना

स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर संगठनात्मक चार्ट नीचे दर्शाया गया है:

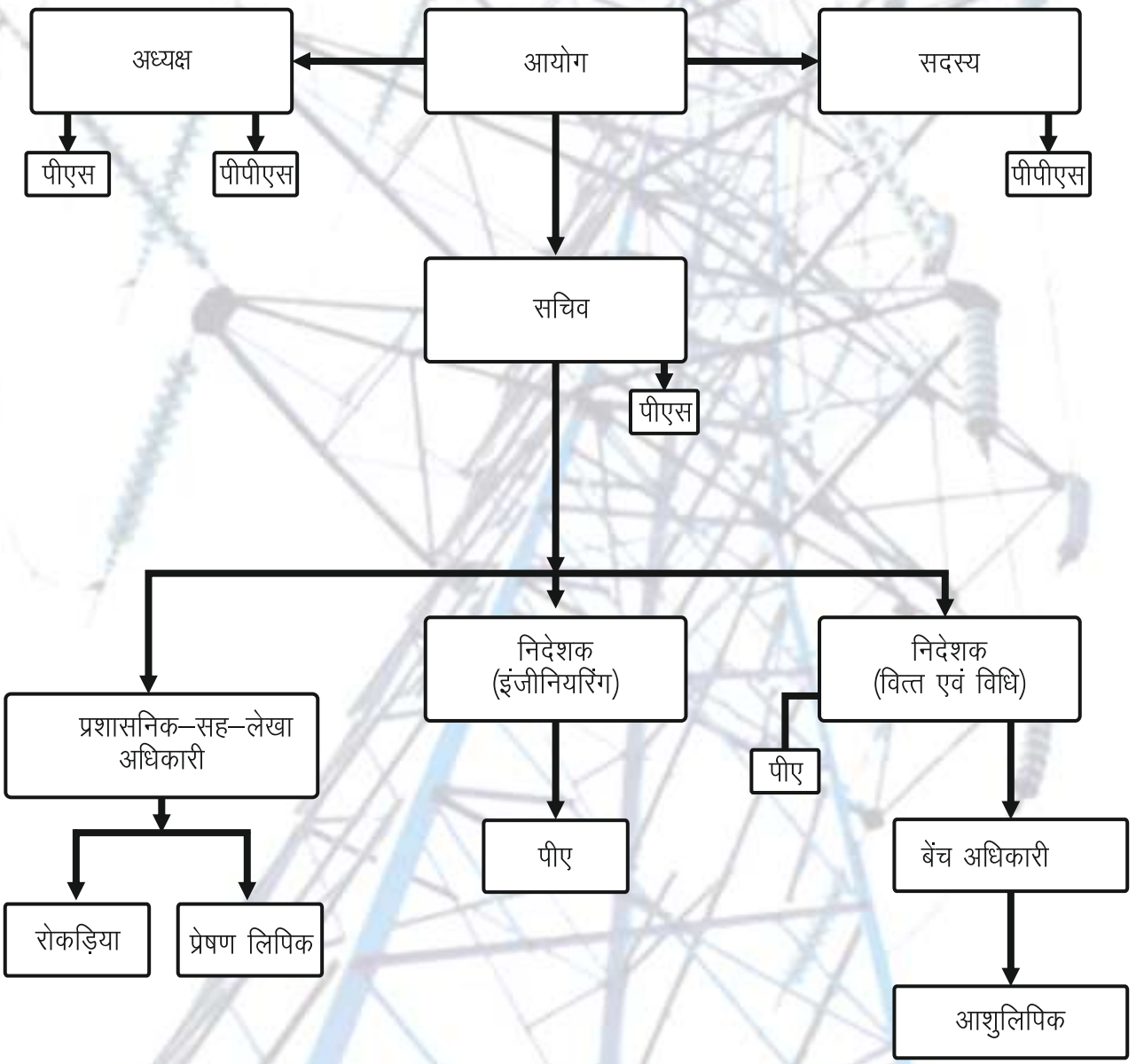

1.6 जन सुनवाई

वर्ष के दौरान, आयोग ने उसके समक्ष लाए गए मामलों को हल करने के लिए 17 जन/ अन्य सुनवाई की। इनका विवरण अनुबंध–2 में दिया गया है।

1.7 वेबसाइट

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की वेबसाइट गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की बिजली क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। वेबसाइट को उपयोगकर्ता की सुविधा के अनुसार बनाया गया है ताकि आयोग द्वारा जारी किए गए सभी विनियम, आदेश, नोटिस माउस के एक क्लिक से आसानी से उपलब्ध हो सकें। जेईआरसी वेबसाइट आयोग के समक्ष दायर की गई याचिकाओं से संबंधित सूचना और जारी किए गए आदेश, यदि कोई हों, के साथ सुनवाई के लिए उनकी अनुसूची भी प्रदान करती है।
वेबसाइट का हाइपरलिंक पता www.jercuts.gov.in है।

1.8 डिजिटल कार्यस्थलः ई–ऑफिस कार्यान्वयन

आयोग के कार्यालय को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। एनआईसी, भारत सरकार की ई–ऑफिस एप्लीकेंशन को लागू किया गया है जिसने माननीय आयोग और उसके कर्मचारियों को कार्यालय के अलावा किसी भी स्थान से कार्य करने में सक्षम बनाया है, जो आयोग के सभी पदाधिकारियों के लिए काफी मददगार रहा है क्योंकि यह कोविड 19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान भी निर्बाध रूप से कार्य कर सका। ई–ऑफिस के कार्यान्वयन से आयोग में पारदर्शिता और कुशल कार्य प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए ई–ऑफिस एप्लिकेशन की होसटिंग के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) लिंक फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने की प्रणाली (आईडीएस), घुसपैठ रोकथाम प्रणाली (आईपीएस) आदि जैसे उपयुक्त आईटी सुरक्षा उपायों के साथ भली–भांति संरक्षित है। ई–ऑफिस ने जवाबदेही बढ़ाने में मदद की है तथा डेटा सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित की है। इस प्रणाली के लागू होने से आयोग के कर्मचारियों की जवाबदेही अधिक रही है और अपेक्षाकृत कम समय में फाइलों का निपटान किया गया है।

1.9 प्रशिक्षण

आयोग के कर्मचारी प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लेते रहे हैं ताकि स्वयं को बिजली क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास के बारे में सूचित कर सकें। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग के कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में भाग लिया गयाः–

क्र.सं.	प्रशिक्षण/ कार्यशाला का विवरण	भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या
1.	एफओआईआर द्वारा विनियामक अभिशासन में तीन माह का ऑनलाइन प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	05
2.	एसआईईआरडी द्वारा "वित्तीय प्रबंधन और लेखांकन" पर दो सप्ताह का ऑनलाइन इंटरएक्टिव लाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम	01
3.	एफओआईआर द्वारा तीन सप्ताह का ऑनंलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम	02
4.	एफओआईआर द्वारा "उपभोक्ता हितों की सुरक्षा" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	02
5.	एफओआईआर द्वारा बिजली क्षेत्र में टैरिफ निर्धारण – सर्वोत्तम प्रथाएं और उभरते विनियामक परिदृश्य"	01
6.	एसएएफआईआर द्वारा आयोजित 19वां कोर पाठ्यक्रम	01
7.	विद्युत विधि–ऑनलाइन प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	02

1.10 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए आयोग में एक आरटीआई अनुभाग है। वित्तीय वर्ष के दौरान 13 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों का आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार निपटान किया गया था।

1.11 संसद प्रश्न

वर्ष के दौरान आयोग ने संसद सत्र के दौरान उठाए गए विद्युत क्षेत्र से संबंधित 13 प्रश्नों का उत्तर दिया है।

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग की गतिविधियां

2.1 विनियम

वर्ष 2020–21 के दौरान, निम्नलिखित विनियमों को अधिसूचित किया गयाः–

क) दिनांक 10.02.2021 को अधिसूचित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण और वितरण लाइसेंसिंग) विनियम, 2020.

ख) दिनांक 22.03.2021 को अधिसूचित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण एवं वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2020.

निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया गयाः–

क) अधिसूचित जेईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल) विनियम में शुद्धिपत्र 21.04.2020 को अधिसूचित किया गया।

ख) जेईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और खुली पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 दिनांक 25.11.2020 को अधिसूचित किया गया।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ और वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण

वर्ष के दौरान, आयोग ने पिछले वर्षों के टैरिफ आदेश जारी किए हैं, जिसमें पिछले वर्षों का समायोजन, वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में संशोधन तथा वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अपने अधिकार क्षेत्र हेतु उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों के लिए टैरिफ का निर्धारण शामिल है।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पुडुचेरी और अंडमान निकोबार को छोड़कर सभी उपयोगिताओं के टैरिफ आदेश समय–सीमा के भीतर जारी किए गए। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए टैरिफ आदेश में विलंब पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उस क्षेत्र में लगाई गई आदर्श आचार संहिता के कारण तथा बिजली विभाग, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र द्वारा टैरिफ याचिका दायर करने में हुई देरी के कारण हुआ था।

जारी किए गए टैरिफ आदेशों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र.सं.	याचिका नं.	प्रार्थी	याचिका का विवरण	आदेश की तारीख
1.	38 / 2020	ईडी–डीएनएच (ट्रांसमिशन)	वित्त वर्ष 2019–20 के समायोजन के मामले में वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और बिजली विभाग, ट्रांसमिशन प्रभाग, दादरा और नगर हवेली के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण	23.03.2021
2.	37 / 2020	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वित्त वर्ष 2019–20 के समायोजन के मामले में, वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	23.03.2021
3.	36 / 2020	ईडी–दमन और दीव	वित्त वर्ष 2019–20 के समायोजन के मामले में वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और बिजली विभाग दमन और दीव के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	23.03.2021
4.	40 / 2020	ईडी–चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2019–20 के समायोजन के मामले में, वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ (ईडब्ल्यूईडीसी) के बिजली विंग के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	30.03.2021

क्र.सं.	याचिका नं.	प्रार्थी	याचिका का विवरण	आदेश की तारीख
5.	39 / 2020	ईडी–गोवा	वित्त वर्ष 2016–17 के समायोजन के मामले में, वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और बिजली विभाग, गोवा सरकार (ईडीजी) के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	30.03.2021
6.	41 / 2020	ईडी–लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और लक्षद्वीप विद्युत विभाग (एलईडी) के लिए वित्त वर्ष 2020–21 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण करने के मामले में।	31.03.2021
7.	35 / 2020	पुडुचेरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड	वित्त वर्ष 2018–19 के समायोजन के मामले में, कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और पुडुचेरी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु उत्पादन शुल्क का निर्धारण	07.04.2021
8.	34 / 2020	ईडी–पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2019–20 के समायोजन के मामले में वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और बिजली विभाग, पुडुचेरी सरकार (पीईडी) के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	07.04.2021
9.	जेईआरसी / विधि / विविध पी / 12 / 2021	स्वतः संज्ञान	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों हेतु जेनेरिक टैरिफ आदेश	28.04.2021
10.	44 / 2021	ईडी–अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और एआरआर के मामले में और बिजली विभाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	31.05.2021

2.3 जेईआरसी क्षेत्राधिकार के तहत बिजली वितरण उपयोगिताओं के महत्वपूर्ण मापदंड

वित्त वर्ष 2020–21								
		विद्युत और कंपनियों के बीच वितरण						
क्र.सं.	विवरण	लक्षद्वीप	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	चंडीगढ़	दमन एवं दीव	पुदुच्चेरी	गोवा	दादर एवं नागर हवेली
1	उपभोक्ताओं की संख्या	25453	143005	231811	65478	526279	675954	81856
2	कनेक्टेड लोड (किलोवाट/केवीए में)	121450	298781	1666462	915468	1502467	2865665	1505663
3	ऊर्जा बिक्री (एमयू)	52.54	279.51	1579.64	2684.12	2806.29	4179.35	6689.48
4.	संशोधित टैरिफ से प्राप्त राजस्व (रुपए)	25.01	192.86	873.29	1316.16	1640.92	1985.39	3589.67
5.	खुली पहुंच प्रभार/एफपीपीसीए प्रभार से प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	आपूर्ति की औसत लागत (एसीओ) (रु/किलोवाट)	27.88	27.45	5.00	5.02	5.89	5.57	5.18
7.	औसत टैरिफ (रु/किलोवाट)	4.76	6.9	5.53	4.90	5.85	4.75	5.37
8.	कुल राजस्व आवश्यकता (सीआरएस रुपए)	146.48	767.20	789.18	1347.69	16,53.21	2327.65	3463.28
9.	वर्ष के लिए निवल अंतर/(अधिशेष) (करोड़ रुपए)	121.47	574.34	(84.12)	31.53	12.28	342.26	(126.39)
10.	टीएंडडी हानि (%)	12.50	13.84	9.30	6.60	11.00	10.50	4.20
11.	क्षेत्रीय पारेषण हानि (%)	–	–	3.69	3.66	2.77	3.26 (डब्ल्यूआरपीसी) 9.87 (एसआरपीसी)	3.66
12.	एसीओएस के % के रूप में औसत टैरिफ (%)	17.07	25.13	110.6	97.61	11.75	85.28	103.66
13.	एसीओएस के % के रूप में घरेलू	11.36	15.57	93.80	46.01	55.61	47.33	49.03
14.	एसीओएस के % के रूप में वाणिज्यिक	32.16	33.91	129	79.82	121.39	100.36	81.46
15.	एसीओएस के % के रूप में औद्योगिक	50.71% (औद्योगिक) 37.84 % (एचटी औद्योगिक)	40.35	113	101.79	118	102.85	105.02
16.	कृषि एसीओएस के % के रूप में	0.00	6.54	58	15.34	6.96	38.89	17.56
17.	कुल राजस्व के % के रूप में घरेलू राजस्व	49.78	33.37	34.34	2.91	15.26	16.72	1.08
18.	कुल राजस्व के % के रूप में वाणिज्यिक राजस्व	11.67	36.15	35.03	1.79	9.93	19.52	0.46
19.	कुल राजस्व के % के रूप में औद्योगिक राजस्व	6.31	30.37	23.49	95.27	72.41	63.46	98.45
20.	कुल राजस्व के % के रूप में कृषि राजस्व	–	0.11	0.05	0.03	0.14	0.30	0.01

बिजली विभाग, दमन और दीव के लिए वित्त वर्ष 2021–22 का एआरआर तथा टैरिफ निर्धारण करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 28.01.2021 को जन सुनवाई

2.4 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें

जेईआरसी ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अनुसार वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, विद्युत उपभोक्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों, शिक्षा और अनुसंधान के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति का गठन किया है। आयोग निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए एसएसी की बैठकें नियमित तौर पर आयोजित करता है:

(i) नीतिगत प्रमुख प्रश्न;
(ii) लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा से संबंधित मामले;
(iii) लाइसेंसधारकों द्वारा उनके लाइसेंसों की शर्तों और अपेक्षाओं का अनुपालन;
(iv) उपभोक्ता हितों का संरक्षण;
(v) बिजली की आपूर्ति और कंपनियों द्वारा निष्पादन के समग्र मानक।

वर्ष के दौरान आयोग ने एसएसी की एक बैठक (16वीं बैठक) जेईआरसी मुख्यालय, गुरूग्राम में 05.11.2020 को आयोजित की गई।

05 नवंबर 2020 को आयोजित एसएसी बैठक के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में जेईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों की विशेषताएं
- गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहल
- नए बाजार खंडों की चर्चा (हरित अवधि के भावी बाजार और वास्तविक समय बाजार)
- वितरण लाइसेंसधारियों के लिए निष्पादन मानक (एसओपी) पर विनियमों की प्रभावशीलता

राज्य सलाहकार समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पद
1.	अध्यक्ष, जेईआरसी	पदेन अध्यक्ष
2.	श्री चंद्रकांत पारेख पायनियर समूह	सदस्य
3.	श्री डी. रवि सेवानिवृत्त एस.ई. और विभागाध्यक्ष बिजली पुडुचेरी विभाग	सदस्य
4.	डॉ एच.एल. बजाज पूर्व सदस्य, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
5.	श्री के.सी. पारेख अध्यक्ष, दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	सदस्य
6.	श्री मारिया जी दुरईराज गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	सदस्य
7.	श्री राजेश कुमार मेदिरत्ता निदेशक, आईईएक्स लिमिटेड	सदस्य
8.	श्री रमेश कुमार इंजीनियर (सीईए) (सेवानिवृत्त)	सदस्य
9.	श्री सुरिंदर सिंह वालिया इंजी.–इन–चीफ (सेवानिवृत्त)	सदस्य
10.	श्री उत्तम कुमार पॉल सेवानिवृत्त एस.ई., बिजली विभाग, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	सदस्य
11.	श्री उमा शंकर	सदस्य
12.	सचिव (उपभोक्ता मामले), कलेक्ट्रेट कार्यालय, दमन	पदेन सदस्य
13.	सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले लक्षद्वीप के प्रशासक संघ राज्य क्षेत्र	पदेन सदस्य
14.	सचिव (उपभोक्ता मामले), सचिवालय, चंडीगढ़	पदेन सदस्य
15.	सचिव (उपभोक्ता मामले), नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय, सचिवालय, गोवा	पदेन सदस्य
16.	सरकार के सचिव, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, अंडमान व निकोबार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	पदेन सदस्य
17.	सरकार के सचिव, सहकारिता एवं नागरिक आपूर्ति, मुख्य सचिवालय, पुडुचेरी	पदेन सदस्य

2.5 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान याचिकाओं की स्थिति

याचिकाएं 1.04.2020	06
वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त याचिकाएं	16
वित्त वर्ष 2020–21 में कुल याचिकाएं	22
वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान निपटाई गई याचिकाएं	16
31.03.2021 तक याचिकाएं	06

31.03.2021 को लंबित याचिकाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:–

याचिका सं.	याचिका का विषय	याचिकाकर्ता
33 / 2020	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ख) और (ग) और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (आचरण) विनियम, 2009 के विनियम 60 के तहत याचिका	बिजली विभाग, लक्षद्वीप
34 / 2020	वित्त वर्ष 2019–20 के समायोजन के मामले में वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और बिजली विभाग, पुडुचेरी सरकार (पीईडी) के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	बिजली विभाग, पुडुचेरी
35 / 2020	वित्त वर्ष 2018–19 के समायोजन के मामले में, कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और पुडुचेरी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु उत्पादन शुल्क का निर्धारण	पुडुचेरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड
42 / 2020	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्लांट्स और रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट्स से बिजली के लिए टैरिफ के निर्धारण संबंधी याचिका।	बिजली विभाग, दमन और दीव
47 / 2021	"बारातांग में बिजली की खरीद के लिए समझौते के अनुमोदन संबंधी याचिका–मौजूदा 33 केवी टीएंडडी प्रणाली में बारातांग में कंटेनरयुक्त डीजी सेट के माध्यम से चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति जहां 800 किलोवाट का मौजूदा औसत सायंकाल पीक लोड और मैसर्स एक्सप्रेस जेनसेट कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से 600 किलोवाट का औसत सायंकाल पीक लोड हो।	बिजली विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
48 / 2021	मौजूदा 33केवी टीएंडडी प्रणाली में पानीघाट (मायाबंदर) में कंटेनरयुक्त डीजी सेट के माध्यम से चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए मायाबंदर में बिजली खरीद समझौते के लिए दायर अनुमोदन याचिका जिसमें मैसर्स मोना जेनरेटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड से 1.6 मेगावाट (05.00 बजे से 10.00 बजे तक) मौजूदा औसत सायंकाल पीक लोड तथा 1.2 मेगावाट औसत दिन और रात का लोड हो।	बिजली विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

2.6 विवादों और मतभेदों पर अधिनिर्णय

विद्युत अधिनियम, 2003 की प्रस्तावना में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का विशिष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42(5) में आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक फोरम की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (6) में लोकपाल के रूप में एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसे आयोग द्वारा नियुक्त या नामित किया जाना है। बिजली का कोई भी उपभोक्ता, जो उप–धारा (5) के तहत अपनी शिकायत का समाधान न होने से पीड़ित है, लोकपाल को अपनी शिकायत के समाधान के लिए अभ्यावेदन कर सकता है।

गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) ने विनियमों को अधिसूचित किया है जो 'अपने संशोधनों के साथ पठित जेईआरसी (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना) विनियम, 2009' तथा अपने संशोधनों के साथ पठित जेईआरसी (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली) विनियम, 2009 के रूप में जाना जाते हैं। ये गोवा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हैं। ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश उपलब्ध कराते हैं। ये विनियम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण लाइसेंस/विद्युत विभागों द्वारा स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ), वर्तमान में सभी क्षेत्रों में कार्यात्मक हैं, जिनका विवरण अनुबंध–1 में दिया गया है।

प्रत्येक सीजीआरएफ के पास अधिकार है कि वह धारा 126 और 127 (बिजली का अनधिकृत उपयोग), धारा 135 से 139 (बिजली की चोरी तथा अपराध एवं दंड), और विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत धारा 161 (दुर्घटना की सूचना आदि) को छोड़कर, अपने वितरण लाइसेंसधारी/विद्युत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करे।

सभी सीजीआरएफ में उपभोक्ताओं द्वारा दाखिल की जाने वाली शिकायतों के लिए मॉडल प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई गई हैं और यह जेईआरसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सीजीआरएफ को सलाह दी गई है कि वह उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निपटान के लिए उसके द्वारा बनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में बताएं और इसे विभिन्न बिल संग्रह केन्द्रों और लाइसेंसधारी के उप–क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित कर इसका प्रचार करें। यह भी सलाह दी गई है कि शिकायतों के निपटान की प्रक्रियाओं की प्रतियां सीजीआरएफ के कार्यालयों में रखी जाए जिससे बिजली उपभोक्ता अपनी जानकारी एवं ज्ञान के लिए बिना किसी परेशानी के इसे प्राप्त कर सकें।

वर्ष 2020–21 के दौरान सीजीआरएफ द्वारा निपटाई गई सभी शिकायतों को नीचे तालिका में दिया गया है:

1. गोवा

पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
05	52	57	54	03	0	26

2. चंडीगढ

पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
11	198	209	206	03	0	45

3. अंडमान एवं निकोबार

पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
02	31	33	30	03	0	109

4. लक्षद्वीप

पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
01	05	06	03	03	01	01

5. दमन व दीव

पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
11	03	14	0	14	14	0

6. पुड्डुचेरी

पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
13	55	68	58	10	0	50

7. दादर एवं नागर हवेली

पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
01	28	29	29	0	0	17

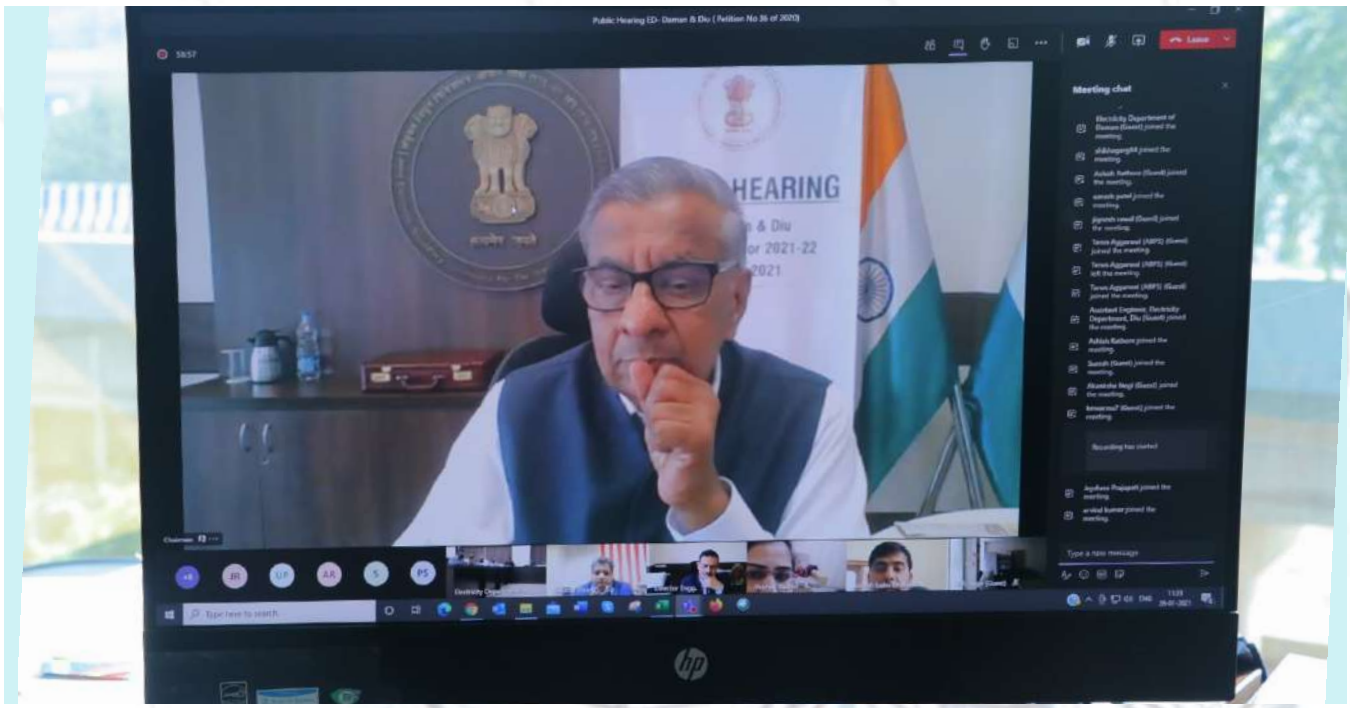

बिजली विभाग, दमन और दीव के लिए वित्त वर्ष 2021–22 का एआरआर तथा टैरिफ निर्धारण करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 28.01.2021 को जन सुनवाई

बिजली लोकपाल

आयोग ने गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीव, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में विद्युत लोकपाल नियुक्त किया है। कोई भी उपभोक्ता जो सीजीआरएफ द्वारा उसकी शिकायत या समस्या के न निपटाए जाने से असंतुष्ट है, उसके पास अपनी शिकायत/समस्या या विवाद को लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प है।

लोकपाल सबसे पहले शिकायतकर्ता और लाइसेंसधारी के बीच समझौता या मध्यस्था के माध्यम से आपकी सहमति द्वारा विवाद को निपटाने का प्रयास करता है लेकिन ऐसा न होने पर संबंधित पार्टियों अर्थात उपभोक्ता और लाइसेंसधारी विभाग के तर्कों के आधार पर विवाद के मामले पर निर्णय लेता है।

लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत जमा करने की विस्तृत प्रक्रिया बनाई गई है और इसे आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इसे व्यापक प्रचार के लिए सीजीआरएफ और लाइसेंसधारियों को भी भेजा गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष कुल 20 अभ्यावेदन/अपीलें दायर की गईं। कुल 20 अपीलों में से वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 18 अपीलों का निपटान किया गया।

पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में की गई बैठकों की संख्या
04	16	20	18	02	0	14

3. वित्त वर्ष 2020–21 के लिए आयोग का वार्षिक लेखा (अनंतिम, सीएजी द्वारा लेखा–परीक्षित किया जाना है)

3.1 प्राप्तियां और भुगतान / गैर–लेखापरीक्षित

(राशि लाख रुपए में)

प्राप्तियां	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 समाप्त वर्ष के लिए
I- आदि शेष			**I- व्यय**		
क) हाथ में नकदी	–	–	क) स्थापना व्यय	154.37	183.76
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक खर्च	429.02	464.14
i) चालू खातों में	527.57	2,356.79			
ii) जमा खातों में	674.64	31.64			
iii) बचत खाते	1.45	3.27			
	1,203.66	**2,391.70**		**583.39**	**647.90**
II- प्राप्त अनुदान			**II- विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों की तुलना में किए गए भुगतान**		
क) भारत सरकार से	927.00	866.00			
ख) राज्य सरकार से	–	–			
ग) अन्य स्रोतों से		–			
	927.00	**866.00**			
III- निम्न से निवेश पर आय			**III- निवेश और जमा राशि**		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि –	–	–	क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों में से		
ख) निजी निधि			ख) अपनी निधियो में से (अन्य निवेश)	–	
IV- प्राप्त ब्याज			**IV- नियत परिसंपतियों पर व्यय और चल रहा पूंजीगत कार्य**		
क) बैंक जमा पर	11.23	15.77	क) नियत परिसंपत्तियों की खरीद	1.17	5.47
ख) ऋण, अग्रिम आदि	–	–	ख) चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय	–	–
ग) बचत बैंक पर	0.26	0.17			
	11.49	**15.94**		**1.17**	**5.47**
V- अन्य आय (निर्दिष्ट)			**V- अधिशेष धन / ऋण की वापसी**		
क) लोकपाल खर्च प्रतिपूर्ति	46.83	17.26	क) भारत सरकार का	–	–
ख) याचिका शुल्क	297.81	309.29	ख) राज्य सरकार को	–	–
ग) लाइसेंस शुल्क	1,712.78	502.25	ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं का	–	–
घ) नियत परिसंपत्तियों की बिक्री	0.39	2.32			
	2,057.81	**831.12**		–	–

(राशि लाख रुपए में)

प्राप्तियां	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 समाप्त वर्ष के लिए
VI- उधार ली गई राशि			**VI- वित्त प्रभार (ब्याज)**		
VII-अन्य कोई प्राप्तियां (विवरण दे)			**VII- अन्य भुगतान (निर्दिष्ट)**		
क) कर्मचारी कल्याण व्यय	–	–	क) जीएसटी पर टीडीएस भुगतान और टीडीएस	75.11	76.84
ख) विविध शुल्क	0.02	0.03	ख) बैंक शुल्क	0.07	0.03
ग) निष्पादन गारंटी	0.10	–	ग) परामर्शदाता भुगतान	82.90	67.43
घ) शुल्क और कर	–	–	घ) आउटसोर्सिंग कर्मचारी भुगतान	87.37	87.48
कृ) अन्य	0.55	0.53	ञ) व्यावसायिक और विधि शुल्क	72.25	88.25
च) विनियामकों का फोरम		7.00	च) प्रतिपूर्ति खाता	18.65	38.60
छ) प्रोसेसिंग फीस	–	0.60	ज) लोकपाल भुगतान	10.36	4.69
			झ) विद्युत मंत्रालय (लाइसेंस शुल्क, याचिका शुल्क और ब्याज जमा)	2,630.68	1,892.57
	0.67	**8.16**		**2,977.39**	**2,255.89**
			VII- अंत शेष		
			क) हाथ में नकदी	–	–
			ख) बैंक में शेष		
			i) चालू खातों में	409.84	527.57
			ii) जमा खातों में	226.41	674.64
			iii) बचत खाते	2.43	1.45
				638.68	1,203.66
कुल	**4,200.63**	**4,112.92**	**कुल**	**4,200.63**	**4,112.92**

3.2 विभिन्न शुल्क की प्राप्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:–

वर्ष के दौरान लाइसेंस शुल्क/ याचिका शुल्क/ विविध शुल्क के रूप में निम्नलिखित प्राप्तियां प्राप्त हुई हैं:–

क्र.सं.	शुल्क की प्रकृति	राशि
1.	वार्षिक लाइसेंस शुल्क	17,07,78,433/–
2.	याचिका दाखिल शुल्क	3,02,81,205/–
3.	विविध/ अन्य शुल्क	2,350/–
	कुल	**20,10,61,988/–**
		(बीस करोड़ दस लाख इक्सठ हजार नौ सौ अठासी रुपए केवल)

लाइसेंस फीस, याचिका शुल्क और प्राप्त विविध शुल्क का विवरण अनुबंध–3 में दिया गया है।

बिजली विभाग, लक्षद्वीप के लिए वित्त वर्ष 2021–22 का एआरआर तथा टैरिफ निर्धारण करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 10.03.2021 को जन सुनवाई।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का विवरण

सचिव, श्री राकेश कुमार, जेईआरसी आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पहले अपीलीय प्राधिकारी हैं। श्री राजेश डांगी, निदेशक (इंजीनियरिंग) को आयोग के लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:–

प्राप्त आवेदन	13
निपटाए गए आवेदन	13
आवेदन जिसमें सूचना देने से इनकार किया गया	शून्य

बिजली विभाग, पुडुचेरी के लिए वित्त वर्ष 2021–22 का एआरआर तथा टैरिफ निर्धारण करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 27.01.2021 को जन सुनवाई

5. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए योजना

5.1 बहु वर्षीय शुल्क (एमवाईटी) व्यवसाय योजना याचिका

आयोग वित्तीय वर्ष 2022–25 की नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी व्यवसाय योजना याचिका दायर करेगा।

5.2 वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं और टैरिफ का निर्धारण

आयोग पिछले वर्षों की समायोजन याचिकाएं, वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और अपने अधिकार क्षेत्र में सात वितरण लाइसेंसधारियों के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ का निर्धारण करेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद टैरिफ आदेश जारी करेगा।

5.3 उत्पादन और ट्रांसमिशन टैरिफ आदेश

पुडुचेरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड के लिए उत्पादन टैरिफ आदेश और बिजली विभाग–दादरा और नगर हवेली के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ आदेश भी वित्त वर्ष 2022–23 की प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा।

5.4 विनियमों में संशोधन

आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय वर्ष के दौरान मौजूदा विनियमों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा।

5.5 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें

जेईआरसी (राज्य सलाहकार समिति), विनियमन 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सलाहकार समिति की बैठकों की योजना बनाई जा रही है। समिति की दो बैठकें वित्त वर्ष 2021–22 में होनी हैं।

अनुबंध–1

सभी प्रदेशों में सीजीआरएफएस का विवरण

क्र. सं.	सीजीआरएफ का नाम	सदस्य का नाम	पदनाम	कार्यालय पता	सम्पर्क नं.	ई–मेल
1.	गोवा	1. श्री एशले लियोनार्ड कैमिलो नोरोन्हा 2. रिक्त 3. श्रीमती सान्द्रा वेज ई कोरिया	अध्यक्ष सदस्य स्वतंत्र सदस्य	विद्युत भवन, चौथा तल, केटीसी स्टेंड के नज़दीक, मुंडवेल, वोस्को डिगामा, गोवा–403802	09422063637	cgrfgoa@yahoo.com adv.sandracorreia@gmail.com
2.	अंडमान एव निकोबार द्वीपसमूह	1. श्री के.जी. रविन्द्रन (23.02.2021 तक) 2. रिक्त 3. श्री बासुदेव दास	अध्यक्ष सदस्य स्वतंत्र सदस्य	सं. ईएल/03 एवं 04, हॉर्टिकल्चर रोड, हड्डो (पीओ) पोर्ट ब्लेयर–744102	09434266970 03192–244822 (का.) 09679507141	Cgrf.and@nic.in andcgrf@rediffmail.com
3.	चंडीगढ	1. श्री आर.के. साही 2. श्री राजेन्द्र सिंह 3. श्री जसविन्दर सिंह सिधु	अध्यक्ष सदस्य स्वतंत्र सदस्य	पुरानी बीएंडआर बिल्डिंग, हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के कार्यालय से सटी, सेक्टर 19–बी, चंडीगढ़	9646118108 0172–2542012 (का.) 09872318618	chairmancgrf@gmail.com
4.	दमन एवं दीव	1. रिक्त 2. श्री भारत रतिलाल आईसक्रीमवाला 3. डॉ. हबीब शकुरभाई मनसौरी	अध्यक्ष सदस्य स्वतंत्र सदस्य	पॉवर हाउस बिल्डिंग, सी फेसिंग रोड, नानी, दमन–395210	9016333415	bricecreamwala@gmail.com
5.	दादर एव नागर हवेली	1. श्री नटवर भाई पटेल 2. श्री सुनील इज़ारी 3. रिक्त	अध्यक्ष स्वतंत्र सदस्य सदस्य	विद्युत विभाग, दादर एवं नागर हवेली, 66केवी सब–स्टेशन, अमली रोड, सिलवासा–396230	09824106776	chairperson-cgrf@rediffmail.com
6.	लक्षद्वीप	1. रिक्त 2. श्रीमती सुनिधि ईस्माइल केआरबी 3. रिक्त	अध्यक्ष स्वतंत्र सदस्य सदस्य	विद्युत सीजीआरएफ, पॉवर हाउस के निकट, कावारत्ती, लक्षद्वीप संध राज्य क्षेत्र –682555	9496196167	Lk-ktelect@nic.in ssunidha766@gmail.com
7.	पुदुच्चेरी	1. श्री टी. गोपालकृष्णन 2. श्री ए.एस. जितेन्द्र राव 3. श्री आर. कृष्णामूर्ति	अध्यक्ष सदस्य स्वतंत्र सदस्य	नं. 6, 17वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पुदुच्चेरी–605 005	0413–2201351 0413–2201451	cgrfpon@gmail.com

अनुबंध–2

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग द्वारा की गई जन सुनवाई/अन्य सुनवाई का ब्यौरा

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिकाकर्ता	याचिका का विवरण	सुनवाई की तारीख
1.	स्वतः संज्ञान–61/2012	सभी वितरण लाइसेंसधारी	समय–समय पर संशोधित जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अनुसार उपभोक्ता पैमाइश और बिलिंग (श्रेणी–वार) की स्थिति।	30.07.2020
2.	स्वतः संज्ञान–77/2012	सभी वितरण लाइसेंसधारी	नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के संबंध में संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2010 के अनुपालन के मामले में।	30.07.2020
3.	28/2020	डीएनएचपीडीसीएल	एसईसीआई के साथ 50 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए 2000 मेगावाट आईएसटीसी किस्तदृष्ट के तहत बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) पर हस्ताक्षर करने के संबंध में याचिका	18.06.2020
4.	30/2020	सी शेल होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, 02, गोविंद नगर बीच हैवलॉक द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह– 744 211 और टीएसजी होटल्स एंड रिजॉर्ट, नं. 25, मौलाना आजाद रोड, फीनिक्स बे, पोर्ट ब्लेयर–744102	धारा 94(1)(च), विद्युत अधिनियम, 2003 के साथ पठित जेईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के विनियम 74 के तहत याचिका, जिसमें वित्त वर्ष 2015–16 के समायोजन के अनुमोदन के लिए याचिका सं. 274/2019 और दूसरी एमवाईटी नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22) के लिए एआरआर तथा वित्त वर्ष 2019–20 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ का निर्धारण के लिए इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 20.05.2019 के टैरिफ आदेश की समीक्षा की मांग की गई है।	09.09.2020
5.	31/2020	अपरूपा सैंड्स मरीना, गोविंद नगर 2, स्वराज द्वीप हैवलॉक द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह– 744 211	धारा 94(1)(च), विद्युत अधिनियम, 2003 के साथ पठित जेईआरसी (कार्य संचालन) विनियम 2009 के विनियम 74 के तहत याचिका, जिसमें वित्त वर्ष 2016–17 के समायोजन के अनुमोदन के लिए 2019 की याचिका सं. 23 में और एआरआर तथा वित्त वर्ष 2020–21 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ का निर्धारण करने के लिए इस माननीय आयोग द्वारा दिनांक 18.05.2020 को पारित टैरिफ आदेश की समीक्षा की मांग की गई है।	09.09.2020
6.	32/2020	चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी, सेक्टर–19, चंडीगढ़	नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी द्वारा निर्मित संचालित अंतरण व्यवसाय मॉडल के तहत तीसरे पक्ष द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए व्यवसाय मॉडल फ्रेमवर्क के अनुमोदन के लिए याचिका	12.10.2020
7.	33/2020	ईडी–लक्षद्वीप	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ख) और (कृ) तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के विनियम 60 के तहत याचिका	26.02.2021

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिकाकर्ता	याचिका का विवरण	सुनवाई की तारीख
8.	34 / 2020	ईडी–पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2019–20 के समायोजन के मामले में वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और बिजली विभाग, पुडुचेरी सरकार (पीईडी) के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	27.01.2021
9.	35 / 2020	पीपीसीएल	वित्त वर्ष 2018–19 के समायोजन के मामले में, कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और पुडुचेरी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु उत्पादन शुल्क का निर्धारण	27.01.2021
10.	36 / 2020	ईडी–दमन और दीव	वित्त वर्ष 2019–20 के समायोजन के मामले में वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और बिजली विभाग दमन और दीव के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	28.01.2021
11.	37 / 2020	डीएनएचपीडीसीएल	वित्त वर्ष 2019–20 के समायोजन के मामले में, वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	29.01.2021
12.	38 / 2020	दादरा और नगर हवेली (ट्रांसमिशन)	वित्त वर्ष 2019–20 के समायोजन के मामले में वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और बिजली विभाग, ट्रांसमिशन डिवीजन, दादरा और नगर हवेली के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण	29.01.2021
13.	39 / 2020	ईडी–गोवा	वित्त वर्ष 2016–17 के समायोजन के मामले में वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और बिजली विभाग, गोवा सरकार (ईडीजी) के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	25.01.2021
14.	40 / 2020	ईडी–चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2019–20 के समायोजन के मामले में, वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ (ईडब्ल्यूईडीसी) के बिजली विंग के लिए वित्त वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	12.02.2021
15.	41 / 2020	ईडी–लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और लक्षद्वीप विद्युत विभाग (एलईडी) के लिए वित्त वर्ष 2020–21 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण करने के मामले में	10.03.2021

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिकाकर्ता	याचिका का विवरण	सुनवाई की तारीख
16.	42 / 2020	ईडी–दमन और दीव	संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्लांट्स और रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट्स से बिजली के लिए टैरिफ का निर्धारण करने के लिए याचिका।	26.03.2021
17.	43 / 2020	डीएनएचपीडीसीएल	संघ राज्य क्षेत्र डीएनएचपीडीसीएल में ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्लांट्स और रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट्स से बिजली के लिए टैरिफ का निर्धारण करने के लिए याचिका	05.02.2021

जन सुनवाई के दौरान 29–01–2021 को जनता / हितधारकों के साथ माननीय अध्यक्ष का संवाद

अनुबंध–3

31.03.2021 को अधिसूचित विनियमों की सूची

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	विनियमन शीर्षक	अधिसूचना की तिथि
1.	जेईआरसी–01 / 2009	(कार्य संचालन) विनियम–2009 • प्रथम संशोधन विनियम–2013 • द्वितीय संशोधन विनियम–2013 • तृतीय संशोधन विनियम–2014 • चौथा संशोधन विनियम–2015 • पांचवां संशोधन विनियम–2019	30.07.2009 • 30.04.2013 • 11.10.2013 • 15.05.2014 • 11.02.2015 • 11.09.2019
2.	जेईआरसी–02 / 2009	अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें विनियम–2009	30.07.2009
3.	जेईआरसी–03 / 2009	लोकपाल विनियम–2009 की नियुक्ति और कार्यप्रणाली • प्रथम संशोधन विनियम–2013 • द्वितीय संशोधन विनियम–2015 • तृतीय संशोधन विनियम–2017 (निरस्त)	31.07.2009 • 04.04.2013 • 01.01.2015 • 12.06.2017
4.	जेईआरसी–04 / 2009	उपभोक्ता विनियम–2009 की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना • प्रथम संशोधन विनियम–2013 • दूसरा संशोधन विनियम–2015 (निरस्त)	31.07.2009 • 25.03.2013 • 30.01.2015
5.	जेईआरसी–05 / 2009	(ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसायों का उपचार) • पहला संशोधन विनियम–2016	18.12.2009 • 19.10.2016
6.	जेईआरसी–06 / 2009	मानक निष्पादन विनियम–2009 (निरस्त)	18.12.2009
7.	जेईआरसी–07 / 2009	राज्य सलाहकार समिति विनियम–2009 • पहला संशोधन विनियम–2015	18.12.2009 • 21.01.2015
8.	जेईआरसी–8 / 2009	सलाहकार नियुक्ति विनियम–2009	11.02.2010
9.	जेईआरसी–9 / 2009	ट्रांसमिशन और वितरण में खुली पहुंच विनियम–2009 (निरस्त)	11.02.2010
10.	जेईआरसी–10 / 2009	टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें विनियम–2009 (निरस्त)	08.02.2010
11.	जेईआरसी–11 / 2010	विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम–2010 (निरस्त)	20.05.2010
12.	जेईआरसी–12 / 2010	राज्य ग्रिड कोड विनियम–2010	07.08.2010
13.	जेईआरसी–13 / 2010	विद्युत व्यापार विनियम–2010	31.08.2010
14.	जेईआरसी–14 / 2010	नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद विनियम–2010 • प्रथम संशोधन विनियम–2014 • द्वितीय संशोधन विनियम–2015 • तृतीय संशोधन विनियम–2016	30.11.2010 • 19.02.2014 • 22.12.2015 • 22.08.2016
15.	जेईआरसी–15 / 2010	वितरण संहिता विनियम–2010	11.08.2010
16.	जेईआरसी–16 / 2013	अपीलीय प्राधिकरण विनियम–2013 के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया	29.04.2013
17.	जेईआरसी–17 / 2014	मांग पक्ष प्रबंधन विनियम–2014	24.06.2014
18.	जेईआरसी–18 / 2014	बहुवर्षीय वितरण टैरिफ विनियम–2014 (निरस्त)	30.06.2014
19.	जेईआरसी–19 / 2015	सौर ऊर्जा – ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड और सोलर रूफटॉप और मीटरिंग विनियम–2015 (निरस्त)	15.05.2015

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	विनियमन शीर्षक	अधिसूचना की तिथि
20.	जेईआरसी–20 / 2015	वितरण लाइसेंसधारियों के लिए निष्पादन मानक विनियम–2015	24.07.2015
21.	जेईआरसी–21 / 2017	अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और खुली पहुंच विनियम–2017	14.03.2018
		• पहला संशोधन विनियम, 2020	• 25.11.2020
22.	जेईआरसी–22 / 2018	(उत्पादन, ट्रांसमिशन एंड वितरण बहु वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2018	10.08.2018
23.	जेईआरसी–23 / 2018	विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम–2018	26.11.2018
		• पहला संशोधन विनियम–2019	• 25.03.2019
24.	जेईआरसी–24 / 2019	नेट मीटरिंग विनियम–2019 पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली	24.07.2019
25.	जेईआरसी–25 / 2019	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें विनियम–2019	24.07.2019
26.	जेईआरसी–26 / 2019	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल विनियम–2019	11.09.2019
		• शुद्धिपत्र	• 21.04.2020
27.	जेईआरसी–27 / 2020	ट्रांसमिशन और वितरण लाइसेंसिंग विनियम–2020	10.02.2021
28.	जेईआरसी–28 / 2020	उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ विनियम–2020	22.03.2021

ANNUAL REPORT

FINANCIAL YEAR 2020-21

(Under Section 105 of Electricity Act, 2003)

XIII EDITION

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)

3rd & 4th Floor, Plot No.55-56
Sector-18, Udyog Vihar: Phase-IV, Gurugram-122015 (Haryana)
Website: www.jercuts.gov.in
E-mail: secy.jercuts@gov.in

CONTENTS

A ANNEXURE (i)

B ABBREVIATIONS (ii)

C ACTIVITY HIGHLIGHTS OF FY 2020-21 (iii)

D FROM THE DESK OF THE CHAIRMAN (iv)

1 ORGANIZATIONAL SETUP AND ADMINISTRATION 1

1.1 The Commission 1
1.2 Functions and Duties of the Commission 2-3
1.3 Profile of the Members of the Commission 4
1.4 Office of the Commission 5
1.5 Organizational Structure of the Commission 6
1.6 Public Hearings 7
1.7 Website 7
1.8 Digital Workplace: E-Office Implementation 7
1.9 Trainings 8
1.10 Right to Information 8
1.11 Parliament Questions 8

2 ACTIVITIES OF THE COMMISSION DURING FY 2020-21 9

2.1 Regulations 9
2.2 Determination of Tariff and Annual Revenue Requirement for FY 2021-22 9-11
2.3 Important parameters of the Electricity Utilities Under JERC Jurisdiction 12
2.4 State Advisory Committee Meetings 13-14
2.5 Status of petitions during the FY 2020-21 15
2.6 Adjudication of Disputes and Differences 16-19

3 ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSION 20-22

4 DETAILS OF INFORMATION UNDER RTI ACT 2005 23

5 AGENDA FOR FINANCIAL YEAR 2021-22 24

ANNEXURES

Annexure-1 Details of Consumer Grievances Redressal Forum 25

Annexure-2 Details of Public Hearings/other hearings conducted by Commission during FY 2020-21 26-28

Annexure-3 List of Regulations as on 31.03.2021 29-30

ABBREVIATIONS

ACos	Average Cost of Supply
ARR	Annual Revenue Requirement
CERC	Central Electricity Regulatory Commission
CGRF	Consumer Grievances Redressal Forum
DNHPDCL	Dadra & Nagar Haveli Power Distribution Corporation Limited
ED	Electricity Department
FOR	Forum of Regulators
FPPCA	Fuel and Power Purchase Price Adjustment
FY	Financial Year
GoI	Government of India
JERC	Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa and Union Territories)
MoU	Memorandum of Undertaking
NHPC	National Hydro Power Corporation
PFC	Power Finance Corporation
PPCL	Puducherry Power Corporation Limited
PPA	Power Purchase Agreement
PFC	Power Finance Corporation
PSU	Public Sector Undertaking
REC	Rural Electrification Corporation
RPO	Renewable Purchase Obligations
RTI	Right to Information
SAC	State Advisory Committee
SECI	Solar Energy Corporation of India
SRPC	Southern Regional Power Committee
T&D	Transmission and Distribution
WRPC	Western Region Power Committee

FROM THE DESK OF THE CHAIRMAN

सत्यमेव जयते

M.K GOEL
Chairman

It gives me immense pleasure to introduce the XIII edition to the Annual Report for the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories) highlighting the general view of the various activities undertaken by the Commission during the year of FY 2020-21.

The Electricity Act, 2003 mandated creation of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories for facilitating regulated and orderly growth of the power sector in the Union Territories and hence the Commission came into existence in August, 2008 and has been thriving to bring in an effective and efficient regulatory process in the power sector of the State of Goa and Union Territories. These territories, even while measuring small in terms of geographical area, contribute richly in terms of either industrialisation (Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu and also Puducherry) or modern urban development (Chandigarh) and/or tourism (Goa and Andaman & Nicobar and Lakshadweep and also Diu). The island territories, namely A&N and Lakshadweep are also strategically located with huge tourism potential.

The financial year witnessed the pandemic COVID-19 which has affected the growth of the industries, service, commercial and other sectors resulting in an overall impact for the economic growth of the country. The pandemic also had a severe impact on the operational performance of the DISCOMs in the Union Territories and the State of Goa. The Commission during this time faced challenges on balancing the interest of the consumers and that of the DISCOM and hence acknowledging the gravity and unprecedented nature of the situation, rolled out the Suo-Moto relief order in the interest of all stakeholders.

During the pandemic the Commission felt handicapped to have frequent interactions with the all the stakeholders, hence the Commission decided to not let the interactions suffer and conducted all the hearings in the Virtual Mode. During the year 2020-2021, all the tariff petition hearings, 16th SAC meetings and rest of the hearings were held as per the schedule and in time via virtual mode.

The Commission has during the year taken steps for promoting efficiency and competitiveness in the power sector, ensuring protection of consumer interests and improving the performance and financial viability of the power utilities.

The Commission, keeping in mind the best interest of all the stakeholders this financial year have notified Joint Electricity Regulatory Commission (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020 (Notified on 10.02.2021) and Joint Electricity Regulatory Commission (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2020 (notified on 22.03.2021).

The Commission from time to time interacts with the representatives of consumer organizations, industry associations and other institutions through State Advisory Committee meetings. This Financial Year the Commission organized its 16th State Advisory Committee Meeting, details of which are in the subsequent chapters. Also, in keeping with the green initiatives of GoI, the Commission has been closely monitoring the renewable purchase obligations (RPO) of all the distribution utilities in the territories by conducting Suo Moto hearing and urging the utilities to meet their RPO targets. Further, considering the fact that most of the territories are ecologically sensitive and fragile, the Commission encourages renewable generation projects through its yearly generic tariff orders on cost plus basis.

Lastly, I would like to congratulate and sincerely thank electricity distribution utilities, consumers and consumer organizations, members of the State Advisory Committee and other stakeholders for their valuable suggestions which helped the Commission in determination of a rational, balanced Tariff Orders and for other regulatory activities. The Commission looks forward for their continuous involvement in discharging its responsibilities and achieving future goals.

1 ORGANIZATIONAL SETUP AND ADMINISTRATION

1 The Commission

In exercise of the powers conferred by Section 83 of the Electricity Act, 2003, the Central Government constituted a two member (including Chairperson) Joint Electricity Regulatory Commission for all Union Territories except Delhi to be known as 'Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories' with Headquarters at Delhi, as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R dated 2nd May, 2005. Later, with the joining of the State of Goa, the Commission came to be known as the 'Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories' as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R (Vol. II) on 30th May, 2008. The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories started functioning with effect from August 2008. The office of the Commission is presently located in a rented building in the district town of Gurugram, Haryana.

During the year the Commission has endeavoured to continue further with its fair, transparent and objective regulatory process in the State of Goa and Union Territories. The Thirteenth Annual Report of the Commission showcases the activities of the Commission during the Financial Year 2020-21.

The Commission, for the purpose of any inquiry or proceedings under the Electricity Act, 2003 has the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the matters listed under sub-section (1) of Section 94 of the Act.

All proceedings before the Commission are deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Commission is deemed to be a Civil Court for the purposes of Sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973. The Commission has the sole jurisdiction to adjudicate or nominate arbitrator(s) to arbitrate and resolve all disputes arising between generating companies and the licensees.

1.2 Functions of the Commission

1.2 THE MANDATE

The Electricity Act, 2003 aims to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity and generally for taking measures conducive to development of electricity industry, promoting competition therein, protecting interest of consumers and supply of electricity to all areas, rationalization of electricity tariff, ensuring transparent policies regarding subsidies, promotion of efficient and environmentally benign policies, constitution of the Central Electricity Authority, Regulatory Commissions and establishment of Appellate Tribunal for electricity. It also aims to create an enabling framework conducive to development of the power sector in an open, non-discriminatory, competitive, market driven environment; keeping in view the interest of consumers, as well as power suppliers. In this context, the role of the Commission is pivotal in order to realise the objectives envisaged in the Electricity Act.

THE FUNCTIONS MANDATED TO THE COMMISSION

According to the Electricity Act, 2003, the JERC is committed to create an efficient and economically viable electricity system in the State of Goa and the Union Territories (except Delhi, J&K and Ladakh), balancing the interests of all stakeholders while fulfilling its primary responsibility to ensure reliable supply of power at affordable rates and is guided by the principles of transparency, accountability, equitability and in discharge of its functions, to safeguard the interests of the licensees and generating companies in the State of Goa and the Union Territories (except Delhi, J&K and Ladakh) and to give a fair deal to consumers at the same time. To achieve the above, the Commission is mandated to carry out the following functions u/s 86(1) of the Electricity Act, 2003-

a) Determine the tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail, as the case may be, within the State:

   Provided that where open access has been permitted to a category of consumers under section 42, the State Commission shall determine only the wheeling charges and sur-charge thereon, if any, for the said category of consumers;

b) Regulate electricity purchase and procurement process of distribution licensees including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources through agreements for purchase of power for distribution and supply within the State;

c) Facilitate intra-state transmission and wheeling of electricity;

d) Issue licenses to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operations within the State/ Union Territories;

e) Promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee;

f) Adjudicate upon the disputes between the licensees, and generating companies and to refer any dispute for arbitration;

g) Levy fee for the purposes specified under this Act;

h) Specify State Grid Code consistent with the Indian Electricity Grid Code (IEGC) specified by Central Electricity regulatory Commission;

i) Specify or enforce standards with respect to quality, continuity and reliability of service by licensees;

j) Fix the trading margin in the intra-State trading of electricity, if considered, necessary;

k) Discharge such other functions as may be assigned to it under this Act.

As per Section 86(2) of the Act, the Commission shall advise the State/ Union Territory Government on all or any of the following matters, namely: -

i) promotion of competition, efficiency and economy in activities of the electricity industry;

ii) promotion of investment in electricity industry;

iii) reorganization and restructuring of electricity industry in the State/ Uts

iv) matters concerning generation, transmission, distribution and trading of electricity or any other matter referred to the Joint Commission by the Government.

In terms of Section 86(3), the Commission shall ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions; and, as per section 86(4), in discharge of its functions the Commission is guided by the Electricity Act, 2003, the National Electricity Policy, National Electricity Plan and Tariff Policy.

Public Hearing on 25.01.2021 through Video conferencing for ARR and tariff determination for FY 2021-22 for Electricity Department, Goa

1.3 PROFILE OF THE MEMBERS OF THE COMMISSION

The Commission, during the period of the present Annual Report consisted of the following Members:

Shri M. K. Goel
Chairman

Shri M.K. Goel took over as Chairman, Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the State of Goa and UTs on 17th February, 2017.

Shri Goel, an Electrical Engineer from Kanpur University has over 41 years of varied Power Sector experience. Before joining JERC, he has been heading Power Finance Corporation, a navaratna PSU and the largest NBFC in the country as Chairman and Managing Director. He has close to 28 years of Power Financing experience in PFC, and 9 years of Power Generation experience in NHPC before joining PFC in 1988. He has more than 9 years of Board level experience in PFC.

Under his leadership as CMD, PFC, despite challenging times, PFC has shown continued business growth with enhanced financial and operational performance. As a result, PFC ranked the largest NBFC in the country based on net worth (all reserves) as on 31.03.2016 and 5th highest profit making PSU as per DPE survey, 2016. He also ensured achievement of all the MoU targets set by the Government of India for FY 2013-14 and FY 2014-15, entitling PFC to the highest MoU score of 1.00 consecutively for 2 years during his tenure as CMD.

He also steered various power sector reform programmes by spearheading GoI initiatives, which included Integrated Power Development Scheme (IPDS), UDAY, 24X7 Power for All etc. He was also instrumental in implementation of other GoI initiatives like UMPPs, ITPs, review of UMPP bidding documents etc.

He immensely contributed to the development of the power sector and the financial industry as a key member in various Committees related to policy and regulatory areas such as (1) 'Central Advisory Committee' (CAC) to advise CERC on policy issues, (2) 'Fund requirement' for National Electricity Plan constituted by CEA, (3) 'High Level Committee on Financing Infrastructure' to take up financing issues with RBI for regulatory changes etc.

1.3 (i) Member

Post of Member is vacant since 08.12.2019.

1.4 OFFICE OF THE COMMISSION

The Commission is functioning through rented premises located at Plot No.55-56, 3rd & 4th Floor, Udyog Vihar-IV, Sector-18, Gurugram, Haryana. The Commission has its own website (www.jercuts.gov.in), which is redesigned and regularly maintained and updated by its Secretariat. The website is used for informing hearing schedules, news, updates, inviting comments on concept papers, Regulations, Petitions and uploading of notified Regulations, Orders of the Commission etc. It also provides information on Consumer Grievances Redressal Forums and Ombudsman and guides consumers for redressal of their grievances.

A picture of Video conferencing of Public Hearing

1.5 ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMMISSION

The Organization Chart based on the sanctioned staff strength is depicted below:-

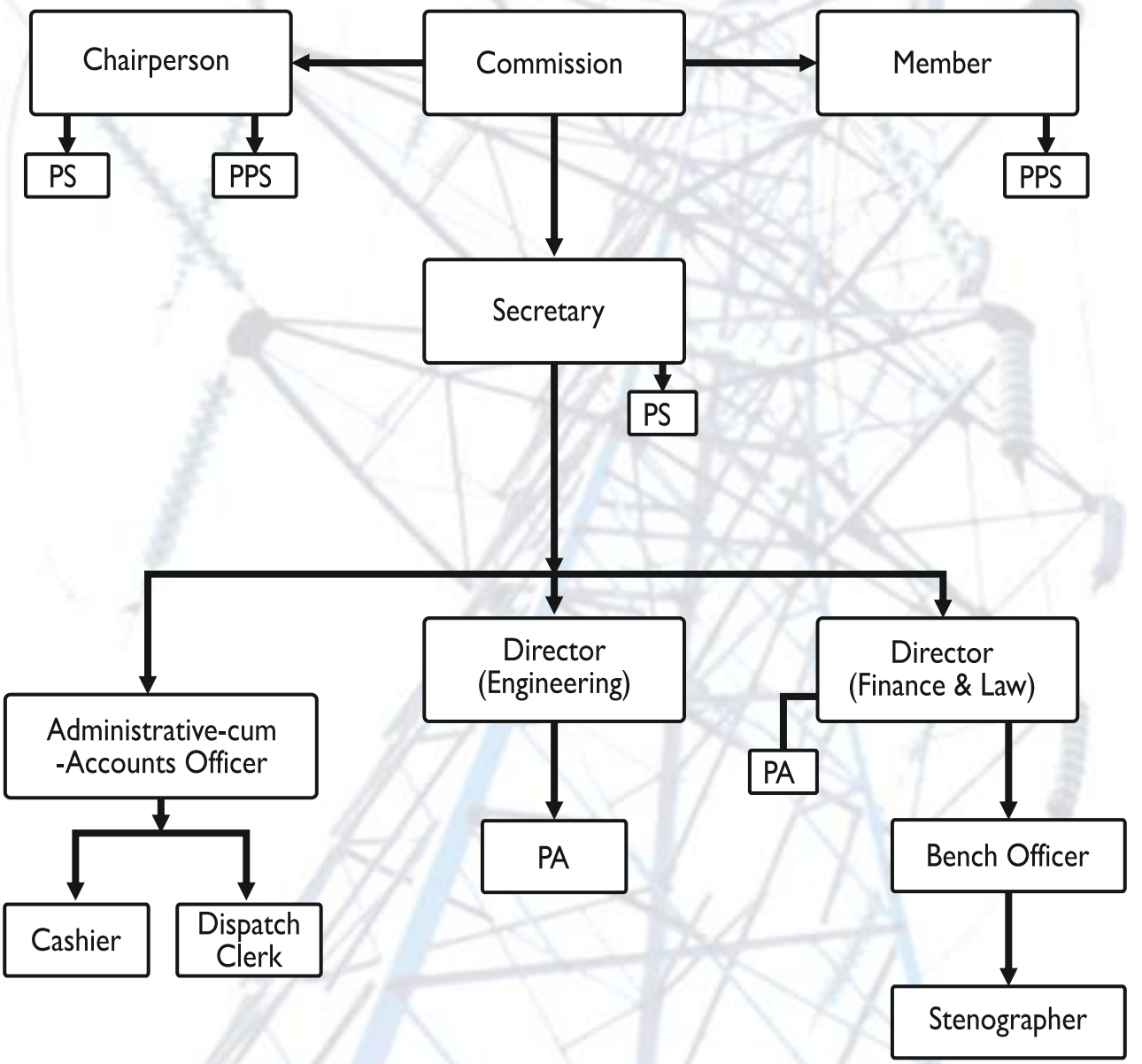

1.6 PUBLIC HEARING

During the year, the Commission conducted 17 public & other hearings in order to resolve the matters brought before it. The details of which are placed in the Annexure 2.

1.7 WEBSITE

Joint Electricity Regulatory Commission's website provides information related to the State of Goa and Union Territories power sector. The website is designed in a user-friendly manner such that all the Regulations, Orders, Notices issued by the Commission are available effortlessly at the click of mouse. The JERC website also provides information related to the Petitions filed before the Com-mission and their Schedule for hearing along with the Orders issued, if any.
The hyperlink address of the website is www.jercuts.gov.in

1.8 DIGITAL WORKPLACE: E-OFFICE IMPLEMENTATION

The Commission's Office has been completely digitalized. E-Office application of the NIC Govt. of India has been implemented which has enabled the Hon'ble Commission and its Staff to work from any location, other than the office too, which has been of great help to all the functionaries of the Commission as it could function uninterruptedly even during the lock down period due to Covid 19 pandemic. Implementation of E-Office has enhanced transparency and efficient work process in the Commission. The Uniform Resource Locator (URL) link for hosting the e-office application, provided by Railtel Corporation of India are well protected with suitable IT security measures like firewalls, Intrusion Detection System (IDS), Intrusion Prevention System (IPS) etc. E-office has helped enable increased accountability and ensures data security and integrity. With the introduction of the system there has been greater accountability within the staff of the Commission and disposal of files has been done in a relatively short time.

1.9 TRAINING

The Staff of the Commission has been attending various training programs and workshops conducted by reputed institutions to keep themselves informed about the latest developments in the power sector. During, FY 2020-21, the following trainings/workshops were attended by the staff of the Commission: -

S.No.	Particulars of Training/Workshop	No. of participants attended
1.	Three Month Online Certificate Course in Regulatory Governance by FOIR	05
2.	Two week Online Interactive Live Training Programme on "Financial Management & Accounting" by SIERD	01
3.	Three Weeks Online Capacity Building Program by FOIR	02
4.	Online Training Program on "Protection of Consumer Interest" By FOR	02
5.	Tariff Setting in the Power Sector – Best Practices and Emerging Regulatory Scenario" by FOR	01
6.	19th Core Course organized by SAFIR	01
7.	Electricity Law-Online Certificate Course	02

1.10 RIGHT TO INFORMATION

The Commission has its RTI section for providing information to the applicants under Right to Information Act, 2005. There were 13 number of applications received during the financial year and all applications were disposed of according to RTI Act, 2005.

1.11 PARLIAMENT QUESTIONS

During the year, the Commission has replied 13 number of queries/questions related to Power sector raised during Parliament Sessions.

2. ACTIVITIES OF THE COMMISSION DURING THE FINANCIAL YEAR 2020-21

2.1 REGULATIONS

During the Year 2020-21, the following Regulations were notified: -

a) Joint Electricity Regulatory Commission (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020 notified on 10.02.2021

b) Joint Electricity Regulatory Commission (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2020 notified on 22.03.2021.

Following Regulations were amended: -

a) Corrigendum in JERC (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, notified on 21.04.2020.

b) JERC (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) (First Amendment) Regulations, 2020 notified on 25.11.2020.

2.2 DETERMINATION OF TARIFF AND ANNUAL REVENUE REQUIREMENT FOR FY 2021-22

During the year, the Commission issued Tariff Orders comprising truing up for previous years, Annual Performance Review for FY 2020-21 and revision of Annual Revenue Requirement (ARR) and determination of tariff for the generation, transmission and distribution utilities under its jurisdiction for FY 2021-22.

Tariff Orders for all Utilities except for Puducherry and Andaman & Nicobar for FY 2021-22 were is-sued within timeframe. The delay in the Tariff Order for the U.T of Puducherry was because of the Model Code of conduct imposed in that region in view of the Puducherry Legislative Assembly Elec-tions and the delay in the Tariff Order for the U.T of Andaman & Nicobar was because of the delay in filing the Tariff Petition by Electricity Department, Andaman & Nicobar.

The details of Tariff Orders issued are as under: -

S.No.	Petition No.	Petitioner	Particulars of Petition	Date of Order
1.	38/2020	ED-DNH (Transmission)	In the matter of True-up of FY 2019-20, Annual Performance Review of FY 2020-21, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Transmission Tariff for FY 2021-22 for Electricity Department, Transmission Division, Dadra and Nagar Haveli	23.03.2021
2.	37/2020	DNH Power Distribution Corporation Limited	In the matter of True-up of FY 2019-20, Annual Performance Review of FY 2020-21, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2021-22 for DNH Power Distribution Corporation Limited	23.03.2021
3.	36/2020	ED-Daman & Diu	In the matter of True-up of FY 2019-20, Annual Performance Review of FY 2020-21, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2021-22 for Electricity Department Daman & Diu	23.03.2021
4.	40/2020	ED-Chandigarh	In the matter of True-up of FY 2019-20, Annual Performance Review of FY 2020-21, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2021-22 for Electricity Wing of Engineering Department, Chandigarh (EWEDC)	30.03.2021

S.No.	Petition No.	Petitioner	Particulars of Petition	Date of Order
5.	39/2020	ED-Goa	In the matter of True-up of the FY 2016-17, Annual Performance Review of FY 2020-21 and Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determina-tion of Retail Tariff for the FY 2021-22 for Electricity Govern-ment of Goa (EDG)	30.03.2021
6.	41/2020	ED-Lakshadweep	In the matter of Annual Performance Review for FY 2020-21 & Aggregate Revenue Requirement (ARR) and De-termination of Retail Tariff for the FY 2020-21 for Lakshadweep Electricity Department (LED)	31.03.2021
7.	35/2020	Puducherry Power Corpo-ration Limited	In the matter of True-up of the FY 2018-19, Aggregate Revenue Re-quirement (ARR) & Determination of Generation Tariff for the FY 2021-22 for Puducherry Power Corporation Limited (PPCL)	07.04.2021
8.	34/2020	ED-Puducherry	In the matter of True-up of FY 2019-20, Annual Performance Review of FY 2020-21, Aggregate Revenue Re-quirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2021-22 for Elec-tricity Department, Government of Puducherry (PED)	07.04.2021
9.	JERC/LEGAL /MISC. P/12/2021	Suo Moto	Generic Tariff Order for Renewable Energy Sources for FY 2021-22	28.04.2021
10.	44/2021	ED-Andaman & Nicobar Islands	In the matter of Annual Performance Review of FY 2020-21 and ARR and Determination of Retail Tariff for FY 2021-22 for Electricity Department Andaman & Nicobar Islands	31.05.2021

2.3 IMPORTANT PARAMETERS OF THE ELECTRICITY DISTRIBUTION UTILITIES UNDER JERC JURISDICTION

FY 2020-21								
		DISTRIBUTION BETWEEN ELECTRICITY AND UTILITIES						
S. No	Particulars	Lakshad -weep	Andaman & Nicobar Islands	Chandi- garh	Daman & Diu	Puducherry	Goa	Dadra & Nagar Haveli
1	No. of Consumers	25453	143005	231811	65478	526279	675954	81856
2	Connected Load (in kW/kVA)	121450	298781	1666462	915468	1502467	2865665	1505663
3	Energy Sales (MUs)	52.54	279.51	1579.64	2684.12	2806.29	4179.35	6689.48
4.	Revenue Realised from re-vised tariff (Rs. Crs	25.01	192.86	873.29	1316.16	1640.92	1985.39	3589.67
5.	Revenue from Open Access Charges/ FPPCA charges (Rs. Cr.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Average cost of supply (ACos) (Rs/kwh)	27.88	27.45	5.00	5.02	5.89	5.57	5.18
7.	Average Tariff (Rs/kwh)	4.76	6.9	5.53	4.90	5.85	4.75	5.37
8.	Aggregate Revenue Re-quirement (Rs. Crs	146.48	767.20	789.18	1347.69	1653.21	2327.65	3463.28
9.	Net Gap/ (Surplus) (Rs. cr) for the year	121.47	574.34	(84.12)	31.53	12.28	342.26	(126.39)
10.	T&D Loss (%)	12.50	13.84	9.30	6.60	11.00	10.50	4.20
11.	Regional Transmission Loss (%)	–	–	3.69	3.66	2.77	3.26 (WRPC) 9.87 (SRPC)	3.66
12.	Average Tariff as percentage of ACoS (%)	17.07	25.13	110.6	97.61	11.75	85.28	103.66
13.	Domestic as % ACoS	11.36	15.57	93.80	46.01	55.61	47.33	49.03
14.	Commercial as % of ACoS	32.16	33.91	129	79.82	121.39	100.36	81.46
15.	Commercial as % of ACoS	50.71% (Industrial) 37.84 % (HT Industrial)	40.35	113	101.79	118	102.85	105.02
16.	Agriculture as % of ACoS	0.00	6.54	58	15.34	6.96	38.89	17.56
17.	Domestic Revenue as % of Total Revenue	49.78	33.37	34.34	2.91	15.26	16.72	1.08
18.	Commercial Revenue as % of Total Revenue	11.67	36.15	35.03	1.79	9.93	19.52	0.46
19.	Industrial Revenue as % of Total Revenue	6.31	30.37	23.49	95.27	72.41	63.46	98.45
20.	Agriculture Revenue as % of Total Revenue	–	0.11	0.05	0.03	0.14	0.30	0.01

Public Hearing on 28.01.2021 through Video conferencing for ARR and tariff determination for FY 2021-22 for Electricity Department, Daman & Diu.

2.4 STATE ADVISORY COMMITTEE MEETINGS

JERC, in terms of Section 87 of the Electricity Act 2003, has constituted a State Advisory Committee to represent the interest of commerce, industry, transport, agriculture, electricity consumers, Non-Government Organizations, education and research. The Committee has mandate to deliberate on the following issues regarding:

i. Major questions of policy;
ii. Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
iii. Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;
iv. Protection of consumer interests;
v. Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

The Commission organized one SAC meeting (being 16th meeting) during the year on 05.11.2020 at JERC Headquarters, Gurugram.

The following subjects were discussed during the SAC Meeting held on 05th November, 2020:

- Features of Tariff Orders issued by JERC in the Financial Year 2020-21
- Initiatives for promoting Renewable Energy in the State of Goa and Union Territories
- Discussion of New Market Segments (Green Term Ahead Markets and Real Time Market)
- Effectiveness of Regulations on Standard of Performance (SOP) for Distribution Licensees

State Advisory Committee Members are as under:

S.No.	Name of the member	Designation
1.	Chairperson, JERC	Ex-Officio Chairperson
1.	Shri Chandrakant Parekh, Pioneer Group	Member
3.	Shri D.Ravi Retd. S.E & HOD Electricity Department of Puducherry	Member
4.	Dr. H.L.Bajaj Ex. Member, Appellate Tribunal for Electricity Chairman, Central Electricity Authority	Member
5.	Shri K.C. Parekh President, Daman Industries Association	Member
6.	Shri Maria G Durairaj Goa Chamber of Commerce and Industry	Member
7.	Shri Rajesh Kumar Mediratta Director, IEX Ltd.	Member
8.	Shri Ramesh Kumar Engineer(CEA) (Retd.)	Member
9.	Shri Surinder Singh Walia Er-in-Chief (Retd.)	Member
10.	Shri Uttam Kumar Paul Retd. S.E, Electricity Department, A&N Islands	Member
11.	Shri Uma Shanker	Member
12.	The Secretary (Consumer Affairs), Office of the Collectorate, Daman	Ex-Officio Member
13.	The Secretary, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Administrator U.T. of Lakshadweep	Ex-Officio Member
14.	The Secretary (Consumer Affairs), Secretariat, Chandigarh	Ex-Officio Member
15.	The Secretary (Consumer Affairs), Office of Civil Supplies & Consumer Affairs, Secretariat, Goa	Ex-Officio Member
16.	The Secretary to Government, Civil Supplies & Consumer Affairs, U.T. Administration of A&N	Ex-Officio Member
17.	The Secretary to Government, Co-operation and Civil Supplies, Chief Secretariat, Puducherry	Ex-Officio Member

2.5 STATUS OF PETITIONS DURING THE FY 2020-21

Petitions as on 1.04.2020	06
Petitions received during the FY 2020-21	16
Total Petitions in FY 2020-21	22
Petitions disposed of during the FY 2020-21	16
Petitions as on 31.03.2021	06

The details of the Petitions pending as on 31.03.2021 are as under: -

Petition No.	Subject Matter of the Petition	Petitioner/s
33/2020	Petition under Section 86(1) (b) and (c) of the Electricity Act, 2003 and Regulation 60 of the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009	Electricity Department, Lakshadweep
34/2020	In the matter of True-up of FY 2019-20, Annual Performance Review of FY 2020-21, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2021-22 for Electricity Department, Government of Puducherry (PED)	Electricity Department, Puducherry
35/2020	In the matter of True-up of the FY 2018-19, Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Generation Tariff for the FY 2021-22 for Puducherry Power Corporation Limited (PPCL)	Puducherry Power Corporation Limited
42/2020	Petition for Determination of Tariff for Power from Ground Mounted Solar PV Plants and Rooftop Solar PV Plants in the UT of Daman & Diu.	Electricity Department, Daman & Diu
47/2021	Petition of approval of agreement for "Purchase of Power at Baratang-Supply of Round the clock Electric Power through containerized DG Sets at Baratang in the existing 33 KVT&D system having existing Average evening Peak Load of 800 KW and Average day & night load to the tune of 600KW from M/s Express Gensets Consortium Pvt. Ltd, New Delhi	Electricity Department, Andaman & Nicobar Islands
48/2021	Petition of approval of agreement for "Purchase of Power at Mayabunder-Supply of round the clock Electric Power through containerized DG Sets at Panighat (Mayabunder) in the existing 33KV T&D system having existing Average evening peak load of 1.6MW (05.00 PM to 10.00PM) average day & night load to the tune of 1.2MW from M/s Mona Generators Services (P) Ltd.	Electricity Department, Andaman & Nicobar Islands

2.6 ADJUDICATION OF DISPUTES AND DIFFERENCES

The Preamble to the Electricity Act, 2003 makes specific mention of protecting the interest of con-sumers. Further, Section 42(5) of the Act provides for establishment of a Forum for Redressal of Grievances of Consumers by every distribution licensee, in accordance with the guidelines as may be specified by the Commission. Further, Sub-section (6) of Section 42 of the Act, provides for the establishment of an authority known as Ombudsman to be appointed or designated by the Commission. Any consumer of electricity who is aggrieved by non- redressal of his/ her grievance under Sub-section (5) can make a representation for redressal of his grievance to the Ombudsman.

The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for Goa and UTs, has notified the regulations known as "JERC (Consumer Grievance Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2019 by repealing the existing JERC (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2009 & its amendments and "JERC (Appointment and Functioning of Ombudsman) Regulations, 2009" & its amendments. These are applicable in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. They provide the procedures and guidelines to be followed in redressal of consumers' grievances. These Regulations are available on the website of the Commission.

ESTABLISHMENT OF CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM

Consumer Grievances Redressal Forums (CGRFs) established by Distribution Licensees/ Electricity Departments in the State of Goa and UTs for redressal of grievances of electricity consumers, are currently functional in all the territories, the details of which are given in Annexure-1.

Each CGRF has the jurisdiction to entertain the complaints/ grievances of consumers with respect to electricity services provided by its distribution licensee/ Electricity Department, except those arising under Section 126 and 127 (unauthorized use of electricity), Section 135 to 139 (theft of electricity and offences and penalties thereof), and Section 161 (notice of accident etc) under the Electricity Act, 2003.

Model procedures for filing the complaints by consumers have been made available to all CGRFs and are also available on the JERC website. CGRFs have been advised to create awareness among con-sumers about the procedures for redressal of grievances as laid down by them and give wide publicity to the same by way of display on notice board at various bill collection centres and sub- divisional/ divisional offices of the licensees, as well as on their websites. It has been advised that copies of the model procedures shall also be kept ready in the offices of CGRFs and licensees so that consumers of electricity, if they wish so, for their information or knowledge, can collect it without any hindrance.

Grievances settled by all CGRFs during the year 2020-21 are as tabulated below:

1. Goa

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
05	52	57	54	03	0	26

2. Chandigarh

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
11	198	209	206	03	0	45

3. Andaman & Nicobar

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
02	31	33	30	03	0	109

4. Lakshadweep

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
01	05	06	03	03	01	01

5. Daman & Diu

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
11	03	14	0	14	14	0

6. Puducherry

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
13	55	68	58	10	0	50

7. Dadra & Nagar Haveli

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
01	28	29	29	0	0	17

Public Hearing on 28.01.2021 through Video conferencing for ARR and tariff determination for FY 2021-22 for Electricity Department, Daman & Diu

ELECTRICITY OMBUDSMAN

The Commission has appointed an Electricity Ombudsman, a Statutory Authority for the State of Goa and UTs having jurisdiction in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, and Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. Any consumer aggrieved by non- redressal of his complaint or grievance by CGRF has the option to make a representation for redressal of his/ her grievance or dispute to the Ombudsman.

The Ombudsman, in the first instance, endeavours to settle the dispute by mutual agreement between the complainant and the licensee through reconciliation or mediation, failing which it decides the matter in dispute on merit based on the pleadings of the parties concerned i.e., the consumer and the licensee department.

Detailed procedure for submitting a representation to the Ombudsman has been laid down and displayed on the website of the Commission. This has also been sent to CGRFs and licensees for giving wide publicity.

During the year 2020-21, a total of 20 representations/appeals (with pendency of 4 appeals) were admitted before the Electricity Ombudsman by the electricity consumers of the State of Goa and Union territories. Out of total 20 appeals, 18 no. of appeals were disposed of in the FY 2020-21.

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings in the year
04	16	20	18	02	0	14

3. ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSION FOR FY 2020-21

(Provisional to be audited by CAG)

3.1 Receipts and Payments / Un-Audited

(Amount in ₹ in lakhs)

Receipts	For year ending in 31-03-2021	For year ending in 31-03-2020	PAYMENTS	For year ending in 31-03-2021	For year ending in 31-03-2020
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
a) Cash in hand	-	-	a) Establishment Expenses	154.37	183.76
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses	429.02	464.14
I) In current accounts	527.57	2,356.7			
ii) In deposit accounts	674.64	31.64			
iii) Savings accounts	1.45	3.27			
	1,203.66	2,391.70		583.39	647.90
II. Grants Received			**II. Payments made against funds for various projects**		
a) From Govt of India	927.00	866.00			
b) From State Govt	-	-			
c) From other sources	-	-			
	927.00	**866.00**			
III. Income on Investments from			**III. Investments & deposits made**		
a) Earmarked/ Endowment Funds	-	-	a) Out of Earmarked / Endowment funds		
b) Own Funds (Other Investment)	-	-	b) Out of Own Funds	-	-
IV. Interest Received			**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital** Work-in- Progress		
a) On Bank deposits	11.23	15.77	a) Purchase of Fixed Assets	1.17	5.47
b) Loans, Advances etc.	-	-	b) Expenditure on Capital Work-in-progres	-	-
c) On Saving Bank	0.26	0.17			
	11.49	**15.94**		**1.17**	**5.47**
V. OTHER INCOME (SPECIFY)			**V. Refund of Surplus money / Loans**		
a) Ombudsman expenses recoupment	46.83	17.26	a) To the Government of India	-	-
b) Petition Fee	297.81	309.29	b) To the state Government	-	-
c) Licence Fee	1,712.78	502.25	c) To other providers of Funds	-	-
d) Sale of Fixed Assets	0.39	2.32			
	2,057.81	831.12		-	-

(Amount in ₹ in lakhs)

Receipts	For year ending in 31-03-2021	For year ending in 31-03-2020	PAYMENTS	For year ending in 31-03-2021	For year ending in 31-03-2020
VI. Amount Borrowed			**VI. Finance Charges (Interest)**		
VII. Any other receipts (give details)			**VII. Other Payments (Specify)**		
a) Staff Welfare Exp	-	-	a) TDS Payment & TDS on GST	75.11	76.84
b) Misc.Fee	0.02	0.03	b) Bank Charges	0.07	0.03
c) Performance Guaranty	0.10	-	c) Consultant Payment	82.90	67.43
d) Duties & Taxes	-	-	d) Outsourcing Empolyee Payment	87.37	87.48
e) Others	0.55	0.53	e) Professional & Legal Fee	72.25	88.25
f) Forum of Regulators		7.00	f) Reimbursement Account	18.65	38.60
g) Processing Fee	-	0.60	h) Ombudsman Payment	10.36	4.69
			i) Ministry of Power(License fee, Petition Fee & Interest Remitted)	2,630.68	1,892.57
	0.67	**8.16**		**2,977.39**	**2,255.89**
			VIII. Closing Balances		
			a) Cash in hand	-	-
			b) Bank Balances		
			i) In current accounts	409.84	527.57
			ii) In deposit accounts	226.41	674.64
			iii) Savings accounts	2.43	1.45
				638.68	1,203.66
TOTAL	**4,200.63**	**4,112.92**	**TOTAL**	**4,200.63**	**4,112.92**

3.2 Details of receipts of various fee are as below: -

The following receipts in the form of License Fee/Petition fee/Misc.fee have been received during the year: -

S.No.	Nature of Fee	Amount (In Rs.)
1.	Annual License Fee	17,07,78,433/-
2.	Petition filing fee	3,02,81,205/-
3.	Misc./Other Fee	2,350/-
	Total	20,10,61,988/-
		(Rupees Twenty Crores Ten Lakhs Sixty One Thousand Nine Hundred and Eighty Eight only)

The details of license fee, petition fee and misc. fee received are given in Annexure-3.

Public Hearing on 10.03.2021 through Video conferencing for ARR and tariff determination for FY 2021-22 for Electricity Department, Lakshadweep

4. DETAILS OF INFORMATION UNDER THE RTI ACT, 2005

The Secretary, Shri Rakesh Kumar, JERC is the first appellate authority under the RTI Act, 2005. Shri Rajesh Dangi, Director (Engineering) was designated as the Public Information Officer of the Commission. The number of applications received and disposed off during the financial year is as under: -

Applications Received	13
Applications disposed off	13
Applications wherein information denied	Nil

Public Hearing on 27.01.2021 through Video conferencing for ARR and tariff determination for FY 2021-22 for Electricity Department, Puducherry

5. PLAN FOR FINANCIAL YEAR 2021-22

5.1 Multi Year Tariff (MYT) Business Plan Petition

The Commission shall undertake the MYT Business Plan Petition for the Control Period of Financial Year 2022-25.

5.2 Annual Revenue Requirements and determination of tariff

The Commission shall take up the Petitions for True ups for previous years, Annual Performance Review of FY 2021-22 and determination of tariff for FY 2022-23 for the seven distribution licensees under its jurisdiction and issue the Tariff Orders after following the laid down procedure.

5.3 Generation & Transmission Tariff Orders

The Generation Tariff Order for Puducherry Power Corporation Limited and Transmission Tariff Order for Electricity Department-Dadra & Nagar Haveli shall also be issued as per procedure for FY 2022-23.

5.4 Amendment in Regulations

The existing Regulations will be reviewed and amended during the financial year as and when the need arises.

5.5 State Advisory Committee Meetings

Meetings of the State Advisory Committee are being planned in terms of provisions of JERC (State Advisory Committee), Regulation 2009. Two meetings of the Committee are scheduled to be held in the FY 2021-22.

ANNEXURE-1

DETAILS OF CGRFS IN ALL THE TERRITORIES

S.No	Name of the CGRF	Name of Member	Designation	Office address	Contact No.	E-mail
1.	Goa	1. Shri Ashley Leonard Camilo Noronha 2. Vacant 3. Smt. Sandra Vaz e Correia	Chairperson Member Independent Member	Vidyut Bhavan, 4th Floor, Near KTC Stand, Mundvel, Vasco, Goa-403802	09422063637	cgrfgoa@yahoo.com adv.sandracorreia@gmail.com
2.	Andaman & Nicobar Islands	1. Shri K.G. Ravindran (upto 23.02-2021) 2. Vacant 3. Sh. Basudev Dass	Chairperson Member Independent Member	No. EL/03 & 04, Horticulture Road, Haddo (PO), Port Blair-744102	09434266970 03192-244822(O) 09679507141	Cgrf.and@nic.in andcgrf@rediffmail.com
3.	Chandigarh	1. Sh. R.K. Sahi 2. Sh. Rajinder More 3. Sh. Jaswinder Singh Sidhu	Chairperson Member Independent Member	Old B&R Building, Adjacent to office of Haryana Tax Tribunal, Sector-19 B, Chandigarh	9646118108 0172-2542012 (O) 09872318618	chairmancgrf@gmail.com
4.	Daman & Diu	1. Vacant 2. Shri Bharat Ratilal Icecreamwala 3. Dr. Habib Shakurbhai Mansuri	Chairperson Member Independent Member	Power House Building, Sea Facing road, Nani, Daman-396210	9016333415	bricecreamwala@gmail.com
5.	Dadra & Nagar Haveli	1. Sh. Natwar Bhai Patel 2. Sh. Sunil Izari 3. Vacant	Chairperson Independent Member Member	Electricity Department, Dadra & Nagar Haveli 66 KV substation, Amli Road, Silvassa-396230	09824106776	chairperson-cgrf@rediffmail.com
6.	Lakshadweep	1. Vacant 2 Smt. Sunidha Ismail KRB 3. Vacant	Chairperson Independent Member Member	CGRF for Electricity, Near Power House, Kavaratti, UT of Lakshadweep -682555.	9496196167	Lk-ktelect@nic.in Ssunidha766@gmail.com
7.	Puducherry	1. Sh. T. Gopalkrishnan 2. Sh. A.S. Jitendra Rao 3. Sh. R. Krishnamurthy	Chairperson Member Independent Member	No.6, 17th Cross Street, Anna Nagar, Puducherry-605005	0413-2201351 0413-2201451	cgrfpon@gmail.com

ANNEXURE-2

DETAILS OF PUBLIC HEARINGS/OTHER HEARINGS CONDUCTED BY THE COMMISSION DURING FY 2020-21

S.No.	Petition No.	Petitioner	Particulars of Petition	Date of Hearing
1.	Suo Moto-61/2012	All distribution licensees	In the matter of Status of consumer Metering and Billing (Category wise) as per Regulations 8 of the JERC (Electricity Supply Code) Regulations, 2010 and as amended from time to time	30.07.2020
2.	Suo Moto-77/2012	All distribution licensees	In the matter of Compliance of Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories) (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2010 regarding Renewable Purchase Obligation (RPO.).	30.07.2020
3.	28/2020	DNHPDCL	Petition in respect of Signing of Power Sale Agreement (PSA) under 2000 MW ISTC Tranche-IV for 50 MW of Wind Power with SECI	18.06.2020
4.	30/2020	Sea Shell Hotels & Resorts, 02, Govind Nagar Beach Havelock Island, Andaman & Nicobar Islands – 744 211 And TSG Hotels and Resorts, No. 25, Maulana Azad Road, Phoenix Bay, Port Blair – 744 102	Petition under Regulation 74 of the JERC (Conduct of Business) Regulations, 2009 read with Section 94(1)(f), Electricity Act, 2003 seeking Review of Tariff Order dated 20.05.2019 passed by this Hon'ble Commission in the Petition No. 274/2019 for approval of True up of FY 2015-16 & ARR for 2 nd MYT Control Period (FY 2019-20 to FY 2021-22) & determination of Retail supply Tariff for the FY 2019-20.	09.09.2020
5.	31/2020	Aparupa Sands Marina, Govind Nagar 2, Swaraj Dweep Havelock Island, Andaman & Nicobar Islands – 744 211	Petition under Regulation 74 of the JERC (Conduct of Business) Regulations, 2009 read with Section 94(1)(f), Electricity Act, 2003 seeking Review of Tariff Order dated 18.05.2020 passed by this Hon'ble Commission in the Petition No. 23 of 2019 for approval of True – up of FY 2016-17 & ARR and determination of Retail Supply Tariff for the FY 2020-21	09.09.2020
6.	32/2020	Chandigarh Renewable Energy Science & Technology Promotion Society, Sector-19, Chandigarh	Petition for approval of business model framework for installation of Gird Connected Rooftop Power Projects for domestic Consumers by third party under Renewable Energy Services Company Built Operate Transfer business model	12.10.2020
7.	33/2020	ED-Lakshadweep	Petition under Section 86(1) (b) and (e) of the Electricity Act, 2003 and Regulation 60 of the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009	26.02.2021

S.No.	Petition no.	Petitioner	Particulars of Petition	Date of Hearing
8.	34/2020	ED-Puducherry	In the matter of True-up of FY 2019-20, Annual Performance Review of FY 2020-21, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2021-22 for Electricity Department, Government of Puducherry (PED)	27.01.2021
9.	35/2020	PPCL	In the matter of True-up of the FY 2018-19, Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Generation Tariff for the FY 2021-22 for Puducherry Power Corporation Limited (PPCL)	27.01.2021
10.	36/2020	ED-Daman & Diu	In the matter of True-up of FY 2019-20, Annual Performance Review of FY 2020-21, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2021-22 for Electricity Department Daman & Diu	28.01.2021
11.	37/2020	DNHPDCL	In the matter of True-up of FY 2019-20, Annual Performance Review of FY 2020-21, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2021-22 for DNH Power Distribution Corporation Limited	29.01.2021
12.	38/2020	Dadra and Nagar Haveli (Transmission)	In the matter of True-up of FY 2019-20, Annual Performance Review of FY 2020-21, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Transmission Tariff for FY 2021-22 for Electricity Department, Transmission Division, Dadra and Nagar Haveli	29.01.2021
13.	39/2020	ED-Goa	In the matter of True-up of the FY 2016-17, Annual Performance Review of FY 2020-21 and Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2021-22 for Electricity Department, Government of Goa (EDG)	25.01.2021
14.	40/2020	ED-Chandigarh	In the matter of True-up of FY 2019-20, Annual Performance Review of FY 2020-21, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2021-22 for Electricity Wing of Engineering Department, Chandigarh (EWEDC)	12.02.2021
15.	41/2020	ED-Lakshadweep	In the matter of Annual Performance Review for FY 2020-21 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2020-21 for Lakshadweep Electricity Department (LED)	10.03.2021

S.No.	Petition no.	Petitioner	Particulars of Petition	Date of Hearing
16.	42/2020	ED-Daman & Diu	Petition for Determination of Tariff for Power from Ground Mounted Solar PV Plants and Rooftop Solar PV Plants in the UT of Daman & Diu.	26.03.2021
17.	43/2020	DNHPDCL	Petition for Determination of Tariff for Power from Ground Mounted Solar PV Plants and Rooftop Solar PV Plants in the UT of DNHPDCL	05.02.2021

Hon'ble Chairperson's interaction with Public/Stakeholders on 29.01.2021 during Public Hearing

ANNEXURE-3

LIST OF NOTIFIED REGULATIONS AS ON 31.03.2021

S.No.	Notification No.	Regulation Title	Date of Notification
1.	JERC-01/2009	(Conduct of Business) Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2013 • Second Amendment Regulations-2013 • Third Amendment Regulations-2014 • Fourth Amendment Regulations-2015 • Fifth Amendment Regulations-2019	30.07.2009 • 30.04.2013 • 11.10.2013 • 15.05.2014 • 11.02.2015 • 11.09.2019
2.	JERC-02/2009	Recruitment, Control and Service Conditions of Officers and Staff Regulations-2009	30.07.2009
3.	JERC-03/2009	Appointment and Functioning of Ombudsman Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2013 • Second Amendment Regulations-2015 • Third Amendment Regulations-2017 (REPEALED)	31.07.2009 • 04.04.2013 • 01.01.2015 • 12.06.2017
4.	JERC-04/2009	Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2013 • Second Amendment Regulations-2015 (REPEALED)	31.07.2009 • 25.03.2013 • 30.01.2015
5.	JERC-05/2009	(Treatment of Other Businesses of Transmission Licensees and Distribution Licensees) • First Amendment Regulations-2016	18.12.2009 • 19.10.2016
6.	JERC-06/2009	Standard of Performance Regulations-2009 (REPEALED)	18.12.2009
7.	JERC-07/2009	State Advisory Committee Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2015	18.12.2009 • 21.01.2015
8.	JERC-8/2009	Appointment of Consultants Regulations-2009	11.02.2010
9.	JERC-9/2009	Open Access in Transmission and Distribution Regulations-2009 (REPEALED)	11.02.2010
10.	JERC-10/2009	Terms and Conditions for Determination of Tariff Regulations-2009 (REPEALED)	08.02.2010
11.	JERC-11/2010	Electricity Supply Code Regulations-2010 (REPEALED)	20.05.2010
12.	JERC-12/2010	State Grid Code Regulations-2010	07.08.2010
13.	JERC-13/2010	Electricity Trading Regulations-2010	31.08.2010
14.	JERC-14/2010	Procurement of Renewable Energy Regulations-2010 • First Amendment Regulations-2014 • Second Amendment Regulations-2015 • Third Amendment Regulations-2016	30.11.2010 • 19.02.2014 • 22.12.2015 • 22.08.2016

S.No.	Notification No.	Regulation Title	Date of Notification
15.	JERC-15/2010	Distribution Code Regulations-2010	11.08.2010
16.	JERC-16/2013	Procedure for filing appeal before the Appellate Authority Regulations-2013	29.04.2013
17.	JERC-17/2014	Demand Side Management Regulations-2014	24.06.2014
18.	JERC-18/2014	Multi Year Distribution Tariff Regulations-2014 (REPEALED)	30.06.2014
19.	JERC-19/2015	Solar Power - Grid Connected Ground Mounted and Solar Rooftop and Metering Regulations-2015 (REPEALED)	15.05.2015
20.	JERC-20/2015	Standard of Performance for Distribution Licensees Regulation-2015	24.07.2015
21.	JERC-21/2017	Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution Regulations-2017 • First Amendment Regulations, 2020	14.03.2018 • 25.11.2020
22.	JERC-22/2018	(Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2018	10.08.2018
23.	JERC-23/2018	Electricity Supply Code Regulations-2018 • First Amendment Regulations-2019	26.11.2018 • 25.03.2019
24.	JERC-24/2019	Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering Regulations-2019	24.07.2019
25.	JERC-25/2019	Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources Regulations-2019	24.07.2019
26.	JERC-26/2019	Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman Regulations-2019 • Corrigendum	11.09.2019 • 21.04.2020
27.	JERC-27/2020	Transmission and Distribution Licensing Regulations-2020	10.02.2021
28.	JERC-28/2020	Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff Regulations-2020	22.03.2021

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

(For the State of Goa and Union Territories)

तीसरी एवं चौथी मंजिल, प्लॉट नं0 55–56, सेक्टर–18,
उद्योग विहार फेस–IV गुरूग्राम–122015 (हरियाणा)
ई–मेल: secy.jercuts@gov.in • वेबसाइट: www.jercuts.gov.in

3rd & 4th Floor, Plot No.55-56, Sector-18,
Udyog Vihar Phase-IV, Gurugram-122015 (Haryana)
Website: www.jercuts.gov.in • E-mail: secy.jercuts@gov.in

Design/Print • TIMES 9 TO 9 #9971570446